पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव

## टूलकिट - 01

# ग्राम पंचायत विकास योजना

## क्या, क्यों और कैसे

Azim Premji Philanthropic Initiatives

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

अ म र्थ न

## सामग्री निर्माण टीम

मनीष श्रीवास्तव, राजेन्द्र बन्धु, दिनेश सिंह,
श्याम श्रीवास्तव, ज्ञानेन्द्र तिवारी, संतोषी तिवारी,
नारायण परमार, राजकुमार मिश्रा, राहुल निगम
एवं विनोद चौधरी

## सलाहकार मण्डल

अनिर्बान घोष, योगेश कुमार, गौरव मिश्रा,
श्रद्धा कुमार, सुभाष मेदापुरकर, मीनाक्षी सुन्दरम,
श्याम बोहरे, आर.एन. सियाग, दविन्दर कौर उप्पल,
अशोक सिंह एवं दत्ता गुराव


| | | |
|---|---|---|
| प्रकाशन वर्ष | : | 2017 |
| कुल प्रतियां | : | 500 |
| प्रकाशक | : | टीआरआईएफ, समर्थन |
| सहयोग | : | अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इनीशीएटिव्स |
| मुद्रक | : | गणेश ग्राफिक्स, भोपाल |


यह प्रकाशन मध्यप्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत राजपुर विकासखण्ड में ट्रांस्फार्मिंग रूरल इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित परियोजना के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सभा सदस्यों, महिला समूहों, परिवर्तन प्रेरकों और अन्य सामुदायिक संगठनों की क्षमतावृद्धि के लिये तैयार किया गया है।

पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव

# टूलकिट - 01

# ग्राम पंचायत विकास योजना

## क्या, क्यों और कैसे

Azim Premji Philanthropic Initiatives

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

अ म र्थ न

# प्रस्तावना

हम सभी जानते हैं कि भारत इस विश्व की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। गाँधी जी का यह कथन कि भारत विविधता का देश है और ग्राम स्वराज से ही देश टिकाऊ प्रगति कर सकता है, आज भी सार्थक है। देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ग्राम स्तर तक पहुँचाने तथा स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिये संविधान में 73वाँ व 74वाँ संशोधन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें चुने हुये प्रतिनिधि आम जनता एवं मतदाताओं के बीच रहकर अपनी भूमिका एवं दायित्व निभाते हैं जो कि एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का स्वरूप है। संविधान द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है।

संविधान संशोधन के उपरांत ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु ग्राम पंचायतें संवैधानिक रूप से उत्तरदायी एवं प्रयासरत हैं। इसी क्रम में अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इंस्टीट्यूशन (APPI) के सहयोग से ग्राम स्तर पर समुदाय/पंचायत को केन्द्र में रखते हुए विकास के विभिन्न आयामों – आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा स्वच्छता एवं पेयजल जैसे मुद्दों पर एक एकीकृत कार्यक्रम का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश के कुछ विकासखंडों में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश तथा प्रदेश के विभिन्न स्वैच्छिक संगठन एक साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं।

विगत ढाई दशकों में ग्राम पंचायतों के पास संसाधन बढ़े हैं तथा युवा नेतृत्व ने अपने अभिनव प्रयासों से स्थानीय स्वशासन एवं विकास के कई उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। परन्तु अभी भी इस दिशा में और अधिक संवहनीय एवं केन्द्रित प्रयासों की आवश्यकता है। हमारा ऐसा मानना है कि यदि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके कार्य एवं दायित्वों से सम्बंधित जानकारी के साथ-साथ सहयोग एवं प्रोत्साहन मिलेगा तो वे अपनी नियत भूमिकाओं को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने में और भी सक्षम होंगे तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत कर सकेंगे।

अत: पंचायतों को सौंपे गए विभिन्न दायित्वों एवं उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में उनकी क्षमतावृद्धि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह पठन सामग्री विकसित की गई है। इस सामग्री को विकसित करते समय विषय विशेषज्ञों द्वारा पंचायत से संबंधित विभिन्न आयामों की जानकारियाँ एवं प्रबन्धकीय ज्ञान की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। यह सामग्री पंचायत प्रतिनिधि, जमीनी स्तर के विभागीय कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता एवं आम ग्रामीण नागरिकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। पठन सामग्री तैयार करने में सहभागी अभिशासन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न अकादमी से जुड़े स्रोत व्यक्तियों का उनके बहुमल्य योगदान के लिये हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं।

आशा है कि यह सामग्री आप सभी को उपयोगी एवं रूचिकर लगेगी।

शुभकामनाओं के साथ

योगेश कुमार
समर्थन

गौरव मिश्रा
टी.आर.आई.एफ.

## विषय सूची


| | |
|---|---|
| 1. टूलकिट में अध्यायों का बटवारा | 5 |
| 2. ग्राम पंचायत विकास योजना क्या, क्यों और कैसे – पृष्ठभूमि | 5 |
| 3. प्रथम भाग : खण्ड 1- ग्राम पंचायत विकास योजना क्या, क्यों और कैसे - | 6 |
| सूक्ष्मस्तरीय नियोजन क्या है? | |
| सूक्ष्मस्तरीय नियोजन क्यों ? | |
| नियोजन कैसे ? | |
| 3. प्रथम भाग : खण्ड 2 - ग्राम विकास योजना से जुड़े 6 महत्वपूर्ण सवाल | 8 |
| हमारी जरूरतें क्या है? | |
| क्या करना होगा? | |
| संसाधन कहां और कितने हैं? | |
| कैसे करना होगा? | |
| कब क्या करना होगा? | |
| कौन क्या करेगा? | |
| 4. भाग -2 सूक्ष्म स्तरीय नियोजन से पहले की तैयारी | 10 |
| वातावरण निर्माण | |
| दस्तावेजों, जानकारियों का संग्रहण | |
| संसाधनों का आकलन कहां और कितने | |
| रिसोर्स एनवेलप का निर्धारण | |
| नियोजन समिति का गठन | |
| 5. भाग -3 सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के विभिन्न चरण | 13 |
| प्रथम चरण : गांव की समस्याओं को पहचानना | 13 |
| दूसरा चरण : समस्याओं की प्राथमिकता तय करना | 15 |
| तीसरा चरण : समस्या के कारणों की पहचान करना | 16 |
| चौथा चरण : समस्या के हल के लिए विकल्प खोजना | 18 |
| पांचवां चरण : गतिविधियों का निर्धारण, बजट बनाना और जिम्मेदारियों का बटवारा | 20 |
| छटवां चरण : गतिविधियों के लिए समय का निर्धारण करना | 22 |
| सातवां चरण – अनुश्रवण, निगरानी एवं मूल्यांकन | 22 |
| आठवां चरण :- कार्य योजनाओं का समेकन एवं ग्राम सभा में अनुमोदन | 24 |
| संलग्नक – योजना निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रपत्र | 25 |
| आधारभूत जानकारियों के संकलन हेतु विभिन्न मानचित्र बनाना | 28 |
| गतिविधि निर्धारण प्रपत्र | 31 |

# टूलकिट में अध्यायों का बटवारा

इस टूलकिट को चार भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग दो खंडों में है जिसके पहले खंड में ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों और कैसे तथा दूसरे खंड में ग्राम विकास योजना निर्माण से जुड़े छः महत्वपूर्ण सवाल हैं, जैसे – हमारी जरूरतें क्या हैं? क्या करना होगा? संसाधन कहां व कितने हैं? कैसे करना होगा? कब करना होगा? कौन क्या करेगा ? इनके बारे में स्पष्ट किया गया है।

ग्राम विकास योजना के दूसरे भाग में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन से पहले समुदाय और अन्य शासकीय विभागों के साथ की जाने वाली तैयारियों के बारे में बताया गया है। जिसमें –

1. वातावरण निर्माण
2. दस्वावेजों, जानकारियों का संग्रहण
3. संसाधन कहां व कितना है, आय का आकलन
4. पंचायत के रिसोर्स एनवलप का निर्धारण, और
5. नियोजन समिति का गठन

ग्राम विकास योजना के तीसरे भाग में सूक्ष्मस्तरीय नियोजन के विभिन्न चरणों को 8 खंडों में बांटा गया है। प्रत्येक खंड में योजना निर्माण के अलग–अलग चरणों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जैसे – गांव की समस्याओं को पहचानना; समस्याओं की प्राथमिकता तय करना; समस्या के कारणों की पहचान करना; समस्या के हल के लिए विकल्प खोजना; गतिविधियां, समय एवं बजट का निर्धारण करना; जिम्मेदारियों का बंटवारा एवं योजना का प्रारूप विकसित करना; अनुमोदित कार्यों की प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी लेना; योजना निर्माण के उपरान्त जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर योजना पर काम करने व काम के दौरान देख–रेख के तरीकों (योजनाओं का समेकन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण, निगरानी एवं मूल्यांकन) के बारे में बतलाया गया है।

टूलकिट के चौथे एवं अंतिम भाग में योजना निर्माण के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों का संकलन है। मानचित्र बनाने के लिये सहभागी ग्रामीण आकलन (पी.आर.ए.) की विभिन्न विधियों के बारे में बताया गया है। वर्तमान में अधिकांश नियोजन संबंधी कार्यों में इन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है।

# ग्राम पंचायत विकास योजना क्या, क्यों और कैसे

संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी अब ग्राम पंचायतों की है। इस संशोधन के बाद स्थानीय लोगों को अपने गांव व पंचायत की विकास योजना बनाने के अधिकार प्राप्त हुए हैं। ग्राम पंचायत में होने वाले हर काम की योजना अब ग्रामीणों को ही मिलकर बनानी है। पंचायत के सभी वार्ड के पंच पहले अपने वार्ड के लोगों के साथ वार्ड में किये जाने वाले कार्यों की योजना बनाएंगे, फिर इसे ग्राम सभा में रखेंगे। योजना निर्माण के समय आदिवासी, दलित बाहुल्य, महिला पंच प्रतिनिधि वाले वार्डों का विशेष ध्यान रखना चाहिये। कई बार सही प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण इन वार्डों का विकास नहीं हो पाता है। योजना निर्माण का कार्य सभी के सामने, सबको साथ लेकर किया जाए ताकि सभी को पता रहे कि गांव में क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है। ऐसा करने से गांव या पंचायत में क्या–क्या काम किये जाने है सभी की जानकारी में रहेंगे। यदि किसी की कोई आपत्ति हो तो उस पर सभी की मौजूदगी में चर्चा कर निर्णय लिया जाए।

अलग–अलग अवसरों पर पंचायतों में योजना निर्माण का कार्य किया जाता है, परन्तु हर बार योजना बनाते समय हम कुछ बिन्दुओं पर ही लक्षित होकर रह जाते हैं। योजना निर्माण के समय अधिकांशतः हमारा ध्यान मनरेगा, पंच परमेश्वर या अन्य योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाली राशि से किये जाने वाले कार्यों तक ही सीमित रहता है। जबकि पंचायत के विकास के लिये और भी कई ऐसे काम हैं जिन्हें योजना निर्माण में शामिल किया जाना चाहिये। इसके तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से अंशदान, नकद दान, सामग्री दान तथा श्रम दान जुटाने जैसे कार्यों को चिन्हांकित करना चाहिये। प्रत्येक गतिविधि को छोटी–छोटी गतिविधि में तोड़कर आवश्यक संसाधन का आकलन किया जाना चाहिये। केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से मिलने वाली राशि, केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि, विधायक एवं सांसद निधि, पंचायत की स्वयं की आय और अन्य आय के स्रोतों से प्राप्त होने वाली राशि का आकलन करना चाहिये।

प्रथम भाग : खण्ड 1

# ग्राम पंचायत विकास योजना क्या, क्यों और कैसे

## सूक्ष्मस्तरीय नियोजन क्या है ?

जब हम वार्ड, ग्राम या पंचायत स्तर पर छोटी-छोटी योजनायें बनाते हैं तो इसे सूक्ष्मस्तरीय नियोजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सूक्ष्मस्तरीय नियोजन में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों का आकलन कर लोगों की सहभागिता से योजना बनायी जाती है। इसमें समुदाय स्थानीय परिस्थितियों का विश्लेषण कर योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया को तय करता है। इस तरह के नियोजन से सामूहिक निर्णयों को प्रोत्साहन मिलता है और समस्याओं का सामूहिक निदान भी होता है। लोगों को नयी-नयी सुविधाएं प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ती हैं जिससे वे अपने दायित्वों के प्रति अधिक सजगता और संवेदनशीलता दिखाते हैं।

नियोजन शब्द का अर्थ है योजना बनाना, अर्थात किसी काम को करने से पहले उसके सभी पहलुओं को ठीक से सोच समझ लेना। जैसे - हम जिस काम को कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं? उसको करने से क्या फायदा होगा? उसमें कितना खर्च आयेगा? काम के लिये पैसा कहां से आएगा? कितना समय लगेगा? काम करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? काम की निगरानी कौन करेगा? कौन सा काम पहले और कौन सा बाद में होगा? इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजना आवश्यक है। इन सब बातों पर पहले से विचार कर लेना ही योजना बनाना है। नियोजन में जरूरी है कि व्यक्ति या समूह हर एक समस्या के समाधान पर खूब सोच-विचार करे, नये-नये विकल्पों की तलाश करे, हर विकल्प की अच्छाइयों एवं बुराइयों का विश्लेषण कर निर्णय ले ताकि योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से हो सके।

इस प्रक्रिया की खास बात यह कि सभी योजनायें गांव की आवश्यकताओं व उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बनेंगी। अलग-अलग घरों में, गांवों में, पंचायतों में संसाधनों की उपलब्धता भी अलग-अलग होती है, कहीं मिट्टी अच्छी तो कहीं खराब, कहीं पानी की कमी, तो कहीं पानी की पर्याप्त उपलब्धता, कहीं ग्राम के सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था का अभाव तो कहीं पर्याप्त व्यवस्था, कहीं नदी, नाले होते हैं, कहीं पर नहीं होते। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लोगों की आवश्यकतायें भी अलग-अलग होती हैं, जैसे कहीं मिट्टी के कटाव को रोकने की आवश्यकता हो सकती है तो कहीं बहते हुए पानी को रोकने की। कहीं फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है तो कहीं दस्त-हैजा जैसी महामारियों के रोकथाम की। उपलब्ध संसाधनों द्वारा लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, इसके लिये योजना बनाना आवश्यक हो जाता है। नियोजन में जरूरी है कि लोग किसी भी काम को करने के विभिन्न विकल्पों की तलाश करें।

कौन सी आवश्यकता की पूर्ति किस काम से होगी, इसके लिए क्या करना होगा, इस बात का निश्चय हो जाने के बाद किस काम को कब करना है इसकी बारी आती है। इसी तरह पंचायत को शासन से मिलने वाली धन राशि के लिए समय रहते प्रस्ताव तैयार करना, निर्माण आदि के काम बारिश आने से पहले पूरे हो जायें इसे ध्यान में रखकर काम की शुरूआत कराना, स्कूल खुलते ही बच्चों के दाखिले कराना। किस मौसम में

पंचायती राज अधिनियम की धारा 7-2 (ग.ड.) के अनुसार भी ग्राम सभा को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से कम से कम तीन माह पूर्व अर्थात् दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह अथवा जनवरी के प्रारंभ में ही अगले वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक योजना व वार्षिक बजट बनाने का प्रावधान किया गया है।

कौन सी बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम के लिए पहले से तैयारी करना, किसी प्राकृतिक या मानवीय आपदा से निपटने के लिए समय रहते कारगर उपाय करना आदि।

## सूक्ष्मस्तरीय नियोजन क्यों ?

यदि हमें घर से निकलने से पहले यह पता हो कि हमें कहां जाना है, क्यों जाना है, जाकर क्या करना है तो हम तय करते हैं कि पहुंचने के लिए कौनसा रास्ता चुनें, किस साधन से जायें, जो काम करना है उसे किस तरह करें, इसकी योजना बनाते हैं। इससे हमारे समय और संसाधन का सही उपयोग होता है और काम भी बेहतर ढंग से होता है। इसी तरह यदि ग्राम सभायें अपने वार्ड/ गांव/ टोले/ मोहल्ले/ फलिया की जरूरतों को पूरा करने के लिये प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध संसाधनों के अनुपात में योजना बनायेंगी तो वार्ड/ गांव/ टोले/ मोहल्ले/ फलिया का सही और बेहतर विकास संभव हो पायेगा।

## नियोजन कैसे ?

आज देखें तो हर वार्ड, गांव, पंचायतों में लोग गंदगी, पीने के पानी, स्कूल, सड़क, नाली जैसी समस्याओं से परेशान हैं। लोग यह मानते हैं कि समस्याओं का समाधान करना सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था का कानून कहता है कि गांव स्तर पर पंचायतें स्थापित हैं और ये पंचायतें वहां स्थानीय सरकार के रूप में काम कर रही हैं। अत: समस्याओं का निराकरण करना वहां के लोगों एवं पंचायत का काम है। यदि किसी पंचायत को किसी काम में, तकनीकी ज्ञान/मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है तो वह संबंधित विभाग को पत्र लिखकर इसकी मांग कर सकती है। यदि योजनाबद्ध तरीके से मदद नहीं मांगी गई तो हो सकता है आपकी मांग पूरी न हो। इसलिये जरूरी है कि अपनी समस्याओं का पहले सूक्ष्मनियोजन व प्राथमिकीकरण कर व्यवस्थित रूप से लिख कर भेजें तभी सुनवाई आसानी से हो सकेगी।

प्रथम भाग : खण्ड 2

# ग्राम विकास योजना से जुड़े 6 महत्वपूर्ण सवाल

योजना निर्माण करते समय हमें नीचे चित्र में दर्शाए गये 6 सवालों के उत्तर खोजना बेहद जरूरी है तभी हम सही योजना बना पाएंगे –

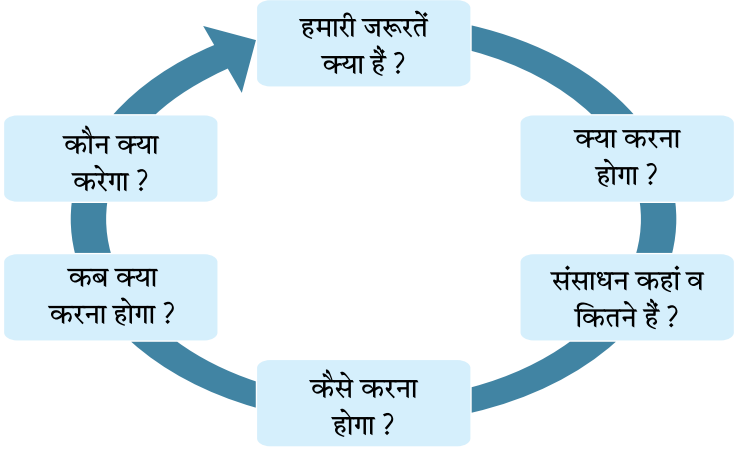


## 1. हमारी जरूरतें क्या है ?

योजना निर्माण के विभिन्न चरणों में जरूरतों एवं संसाधनों की पहचान करते हुए गांव की योजना का प्रारूप बनाना, नियोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। आवश्यकताओं को पहचानने का प्रारम्भ गांव के लिये एक आदर्श गांव के विजन या स्वप्न से किया जा सकता है। विजन/स्वप्न वह दूरगामी लक्ष्य है जिसे पाने के लिए सभी गांव वाले प्रेरित हों और काम करने के लिये तैयार हों। गांव के लोगों के साथ चर्चा करें कि वे आने वाले 5 वर्ष बाद अपने गांव को कैसा देखना चाहते हैं। यह स्वप्न गांव की आवश्यकताओं एवं सम्भावनाओं पर निर्भर करेगा। जैसे – एक ऐसे गांव का विकास करना जहां पर सभी किसानों के पास दो फसली खेती की सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध हो, सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था के साथ गांव में स्वच्छ वातावरण हो। यह सपना हर गांव/पंचायत का अलग-अलग हो सकता है। अधिकांशत: लोग अपने गांव को गन्दगी, पेयजल की कमी, स्कूल, सड़क, नाली आदि की समस्या से मुक्त देखना चाहते हैं। पंचायत राज व्यवस्था का कानून भी यही कहता है। अत: गांव का स्वप्न /विजन तैयार कर हम सर्व सुविधायुक्त गांव बनाने का लक्ष्य तय कर सकते है। गांव की खास जरूरतें जैसे पीने का पानी, बीमारियों का इलाज एवं रोकथाम, साफ स्वच्छ वातावरण, रोजगार के साधन, सबको रहने के लिए घर, निराश्रितों के लिए सहायता, स्कूल, बिजली, सड़क आदि बहुत सी जरूरतें हो सकती हैं। इनमें सबसे ज्यादा जरूरी काम सबसे पहले और कम जरूरी काम को सबसे बाद में रखते हैं। जरूरतों का पता करने से हमें अंदाजा हो जाता है कि हमें क्या-क्या करना है। अत: आपस में मिलजुल कर वार्ड स्तर से पंचायत स्तर तक की तमाम जरुरतों की सूची बना लेना चाहिये।

## 2. क्या करना होगा ?

इसे एक उदाहरण से समझते हैं – यदि गांव में सड़कों और गलियों में फैली गन्दगी हटाने की जरूरत है तो

इसके लिए घरों से निकलने वाले कूड़े को इकट्ठा कर उचित जगह पर फेंकने की जरूरत है। इसके लिये किसी सार्वजनिक भूमि पर गड्ढा खोदना पड़ सकता है। प्रत्येक परिवार को कचरा एकत्र करने के लिये कचरा पेटी देनी पड़ सकती है। सड़क के दोनों ओर नालियां बनवानी पड़ सकती है। प्रतिदिन सड़क या गली की सफाई के लिये सफाई कर्मचारी नियुक्त करना पड़ सकता है।

## 3. संसाधन कहां और कितने हैं ?

संसाधनों का सूचीकरण और उनका अनुमानित मूल्य निकालना जरूरी है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शासन से मिलने वाली धन राशि, लोगों से मिलने वाला अनुदान, श्रमदान इत्यादि का आकलन किया जाना चाहिये।

## 4. कैसे करना होगा ?

इसके अंतर्गत पूरी प्रक्रिया पहले से तैयार करनी होगी। जैसे - अगर श्रम दान से कोई काम होना है तो कितने श्रम दान की आवश्यकता होगी, प्रतिदिन कितने परिवार कितने घंटे श्रम दान करेंगे तय करना होगा। यदि किसी काम को ठेके से कराना है तो निविदा सूचना के लिए विज्ञापन किस तरह दिया जाएगा। जनपद और जिला स्तर के अधिकारियों से किस प्रकार अनुमति ली जाएगी। किस प्रकार के तकनीकी सहयोग की आवश्यकता होगी, आदि।

### तकनीकी सहायता

- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग से निर्माण कार्यों के लिये आवश्यक तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
- पंचायत द्वारा तकनीकी सहयोग की लिखित मांग पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा अपेक्षित तकनीकी सहयोग हेतु उपयंत्री की जवाबदेही सुनिश्चित की जावेगी।

## 5. कब क्या करना होगा ?

इसमें मौसम चक्र, कृषि चक्र, स्थानीय उत्सव, संसाधनों की उपलब्धता के समय के साथ-साथ योजना की राशि व खर्च करने की निर्धारित अवधि का ध्यान रखना जरूरी है। हिन्दी में एक कहावत है 'का बरसा जब कृषि सुखानी'। अर्थात समय बीत जाने पर साधन मिलने का कोई लाभ नहीं है।

## 6. कौन क्या करेगा ?

काम का बंटवारा और जिम्मेवारी सौंपना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए ग्राम सभा की समितियां भी गठित हैं, जरूरत होने पर अस्थायी समितियां भी गठित की जा सकती हैं। ग्राम में स्वच्छता अभियानों को मजबूती प्रदान करने के लिए ग्राम सभा के अनुमोदन से अस्थाई ग्राम स्वच्छता तदर्थ समिति का गठन किया गया है। इसी तरह स्वास्थ्य एवं पोषण को सुदृढ़ करने के लिए ग्राम सभा स्वस्थ्य ग्राम तदर्थ समिति गांवों में कार्यरत हैं। इन सभी के संयुक्त प्रयास और ग्राम सभा के माध्यम से कार्य योजना का निर्माण किया जायेगा। गांव के स्कूलों के शिक्षक, गांव में पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व ए.एन.एम. भी नियोजन में सहयोग करेंगे। विभागीय अधिकारी जैसे-उपयंत्री, कार्यक्रम अधिकारी, पटवारी के अलावा उन शासकीय विभागों के अधिकारी जिनके साथ अभिसरण किया जा रहा है तकनीकी सहयोग एवं मागदर्शन देंगे।

योजना निर्माण में इन्हें भी शामिल किया जाये -

- सक्रिय महिलाएं, वृद्धजन, युवा वर्ग, दिव्यांग महिला-पुरूष, परिवार के वयस्क सदस्य
- गांव के सामुदायिक संगठन, बचत समूह, सभी स्थायी-अस्थायी समितियों के सदस्य
- मजदूरी पर आश्रित परिवारों के वयस्क महिला-पुरूष
- योजना निर्माण में गांव के सभी वर्ग और जाति का प्रतिनिधित्व आवश्यक है

क्रियान्वयन कौन करेगा, गुणवत्ता की निगरानी कौन करेगा, हिसाब-किताब कौन रखेगा, समीक्षा कौन करेगा, इत्यादि का निर्णय सामूहिक रूप से ग्राम सभा में योजना बनाते समय किया जाना चाहिये।

भाग -2

# सूक्ष्म स्तरीय नियोजन से पहले की तैयारी

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन से पहले कुछ तैयारी करनी होती है। समुदाय और शासकीय विभागों के साथ निम्नलिखित कार्य किये जाने चाहिये-

1. वातावरण निर्माण 2. दस्वावेजों, जानकारियों का संग्रहण 3. संसाधनों का आकलन-कहां और कितने 4. रिसोर्स एनवेलप का निर्धारण 5. नियोजन समिति का गठन

## 1. वातावरण निर्माण -

- ग्राम के हर मोहल्ले, वार्ड में पदयात्रा, रैली निकालना, मुनादी कराना, नियोजन के पहले दीवार लेखन एवं विभिन्न माध्यमों से लोगों को नियोजन की सूचना व जानकारी देना।

- सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिये महिला स्वयं सहायता समूहों, युवाओं तथा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन की आवश्यकता एवं प्रकिया की जानकारी देना।

- सामुदायिक जागरूकता, गतिशीलता के लिये विभाग स्तरीय शिविरों का आयोजन करना।

## 2. दस्वावेजों, जानकारियों का संग्रहण -

पंचायत की योजना बनाने के पूर्व पंचायत सचिव के साथ मिलकर गांव स्तर की तमाम जानकारी एकत्र कर लेना चाहिये। यह जानकारी शासन द्वारा समय -समय पर कराए गए विभिन्न सर्वे और अन्य विभागीय दस्तावेजों में दर्ज रहती है। इस जानकारी को ग्राम सर्वेक्षण प्रपत्र मॉड्यूल के भाग-3, पृष्ठ संख्या 25 पर दिये गये -ग्राम सर्वेक्षण प्रपत्र में एकजायी कर लेना चाहिए।

### इलेक्ट्रानिक डेटा का उपयोग -

बहुत से आंकड़े व जानकारियां योजनाओं के पोर्टल तथा विभागीय वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं। आवश्यकतानुसार इस डेटा को भी उपयोग में लाया जा सकता है। इससे समय की बचत होगी और यह जानकारी नियोजन में बहुत मददगार होगी।

### समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यगण आई.डी.

समग्र पोर्टल पर प्रदेश में निवासरत परिवारों एवं परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया गया है। जिसमें परिवार के मुखिया एवं परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, जाति, व्यवसाय, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, आमदनी के स्रोत, योजना जिसके हितग्राही हैं, बचत खाता नम्बर, बीपीएल, विकलांगता आदि डेटा उपलब्ध है। पोर्टल पर परिवार एवं परिवार के सदस्यों के पंजीयन के साथ ही समग्र पोर्टल से स्वत: परिवार के लिये 8 अंकों की समग्र परिवार आई. डी. एवं परिवार के सदस्यों के लिये 9 अंकों की समग्र सदस्य आई.डी. जनरेट हो जाती है। समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. न सिर्फ किसी भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायक होती है बल्कि वर्तमान में अधिकांश शासकीय योजनाओं के लाभ के लिये इसे अनिवार्य कर दिया गया है। समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी और नागरिकों का सम्पूर्ण डेटाबेस उपलब्ध होने से समग्र पोर्टल स्वत: ही व्यक्ति किन-किन योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु पात्रता रखता है इसकी जानकारी उपलब्ध करा देता है। नागरिकों को चाहिये कि वे अपने परिवार में किसी बच्चे के जन्म, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु आदि की जानकारी समग्र पोर्टल पर अद्यतन कराते रहें। समग्र पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी का उपयोग हितग्राही मूलक योजनाओं के हितग्राहियों के चयन में किया जा सकता है।

### आगंनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी जा सकने वाली जानकारी-

आगंनबाड़ी कार्यकर्ता से गांव में कुल परिवारों की सर्वे आधारित जानकारी, इसमें प्रत्येक परिवार के सदस्यों का विवरण सहित जन्म से 6 वर्ष तक की आयु के

बालक बालिकाओं की विभिन्न जानकारियां और उनके पोषण स्तर के बारे में मालूम किया जा सकता है। इसी तरह किशोरी बालिकाएं, गर्भवती, धात्री माताओं का विवरण और टीकाकरण आदि की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।

### एएनएम/एमपीडब्ल्यु द्वारा उपलब्ध करायी जा सकने वाली जानकारी–

स्वास्थ्य के क्षेत्र में एएनएम/एमपीडब्ल्यु से गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति, बीमारियां एवं उनके उपचार से जुड़ी हुई सुविधाओं के बारे में जाना जा सकता है।

### शिक्षक व प्रधान पाठक द्वारा उपलब्ध करायी जा सकने वाली जानकारी–

स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या, शिक्षकों की संख्या, पाठ्यपुस्तक आदि का विवरण, स्कूल में शौचालय की उपलब्धता और उपयोग की स्थिति, पीने का पानी, मध्यान्ह भोजन व शाला त्यागी बच्चों की संख्या की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

### पटवारी द्वारा उपलब्ध करायी जा सकने वाली जानकारी–

पंचायत में पदस्थ पटवारी से गांव में भूमि का प्रकार, कुल रकबा, सिंचित, असिंचित भूमि का क्षेत्रफल, चरनोई भूमि, वन भूमि, निस्तार की भूमि, सार्वजनिक स्थल, वृक्ष आदि की जानकारी ली जा सकती है। साथ ही ग्राम पंचायत में आपदा प्रबंधन से जुड़े संसाधनों के बारे में भी जाना जा सकता है।

### पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करायी जा सकने वाली जानकारी–

पंचायत सचिव द्वारा विभिन्न दस्तावेजों का संधारण किया जाता है, इनका उपयोग योजना निर्माण के दौरान ग्राम पंचायत की क्षमता एवं कमजोरियों को जानने में किया जा सकता है। इस जानकारी में मुख्य रूप से विगत वर्षों में पंचायत की आय एवं व्यय का विवरण, बाहरी स्रोतों से प्राप्त आय का विवरण, पंचायत की परिसंपत्तियों का विवरण, पंचायत एवं ग्राम सभा द्वारा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को पूर्व में भेजी गई योजनाओं का विवरण, विभिन्न मांग पत्र, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूची एवं प्रतीक्षित चयनित हितग्राहियों की सूची का अवलोकन किया जा सकता है।

## 3. संसाधनों का आंकलन कहां और कितने

कौन सी जरूरतें सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं से पूरी की जा सकती हैं। कौन सी ऐसी जरूरतें हैं जो अन्य साधनों से पूरी की जा सकती हैं। जैसे कुछ जरूरतें बाहरी अनुदान, स्वयं के संसाधन, स्वयं की आय, श्रमदान, जन भागीदारी आदि से भी पूरी की जा सकती हैं। जरूरतों के हिसाब से आवश्यकता सूची तैयार कर लेनी चाहिए, उदाहरण के लिए गांव में सड़क एवं नाली निर्माण शासन के द्वारा चलायी जा रही पंच परमेश्वर योजना से कराया जा सकता है। जबकि गांव में शराबबंदी या नशामुक्ति के लिए बिना किसी विशेष लागत के समुदाय आधारित अभियान चलाकर गांव को नशामुक्त बनाया जा सकता है। वहीं महिला सशक्तिकरण का कार्य भी किया जा सकता है। इसी प्रकार गांव को हरा–भरा गांव बनाना, गांव को खुले में शौच से मुक्त करना, शत–प्रतिशत टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, स्कूलों में बच्चों का शत–प्रतिशत पंजीयन, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता में सुधार, कुपोषण से मुक्ति और सामाजिक बुराइयां जैसे– बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा इत्यादि से मुक्ति, गांव के लोगों की जागरूकता, सहभागिता और दृढ़ निश्चय से पायी जा सकती है।

## 4. रिसोर्स एनवेलप का निर्धारण

बजट बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि पंचायत में पैसा कहां से, कितना और किन–किन कामों के लिए आता है? प्राप्त होने वाली राशि का अनुमान लगाकर अगले साल के खर्च का अनुमान लगाया जाता है। सरकार द्वारा लोगों के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। वर्तमान में अधिकांश योजनाओं का पैसा सीधे हितग्राहियों के बैंक खाते में, योजनाओं में मजदूरी करने वाले श्रमिकों का मजदूरी भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का पैसा भी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में आता है। यहां तक कि निर्माण कार्यों के लिये सामग्री प्रदाताओं के बिल का भुगतान भी सीधे उनके बैंक खाते में आता है। फिर भी नियोजन करते समय विभिन्न योजनाओं के तहत सीधे हितग्राहियों के खाते में आने वाले पैसों का अनुमान भी लगाना आवश्यक है। तभी हम पंचायत में प्रतिवर्ष आने वाले पैसे का सही अनुमान लगा पाएंगे।

वर्तमान में केवल 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य वित्त आयोग की राशि ही सीधे पंचायतों को प्राप्त हो रही है। पंच परमेश्वर योजना को भी इसी में समाहित कर दिया गया है। पंचायत को तीन प्रमुख स्रोतों से आय होती है, एक सरकार से विभिन्न योजनाओं के लिए प्राप्त राशि, दूसरी वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि व स्वयं के संसाधनों से होने वाली आय।

**क्रियान्वयन एवं देखरेख**

कार्य योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में पंचायत की ''निर्माण एवं विकास समिति'' की महत्वपूर्ण भूमिका है। समिति पर सभी निर्माण कार्यों को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण कराने का दायित्व है।

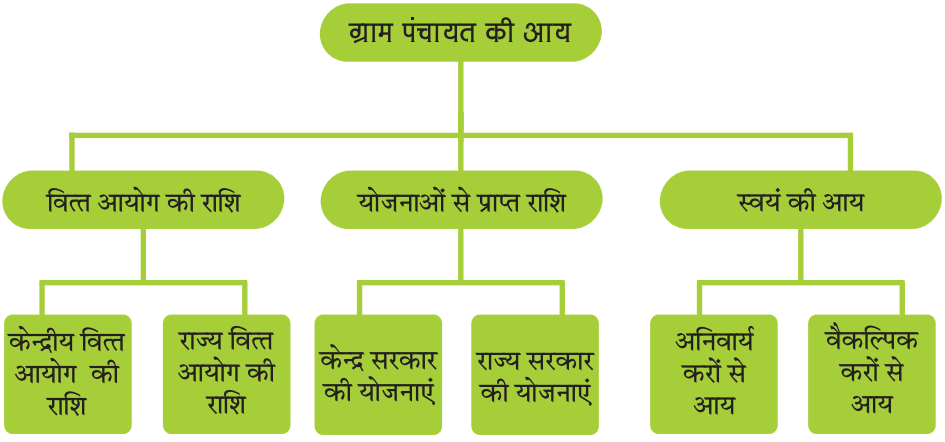


### स्वयं के स्रोत्र से आय का आकलन

- राजस्व कर फीस शुल्क से आय का आकलन
- पंचायत के जाबकार्ड के आधार पर आकलन
- गाम पंचायत में केंद्र व राज्य सरकार के अनुदान के आधार पर आकलन
- सी एस आर व स्वैच्छिक योगदान का आकलन

## 5. नियोजन समिति का गठन-

ग्राम स्तर पर एक नियोजन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें गांव के हर वार्ड का पंच एवं हर वार्ड से एक-एक सक्रिय वार्ड सदस्य को समिति का सदस्य बनाया जाएगा। यदि वार्ड पंच महिला है तो, वार्ड का अन्य सदस्य पुरूष होगा और यदि वार्ड पंच पुरूष है तो अन्य सदस्य महिलाओं में से चुना जाएगा। इस प्रकार हर वार्ड से एक महिला एवं एक पुरूष नियोजन समिति में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे।

नियोजन समिति ग्राम सभा द्वारा गठित होगी। इस समिति में पंचायत की सभी स्थाई समितियों को स्वत: ही जोड़ा जा सकेगा। जरूरत होने पर इन समिति के सदस्यों का उनके काम व दायित्वों पर उन्मुखीकरण किया जाए ताकि ये समितियां नियोजन के साथ-साथ क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। सरपंच को नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया जायेगा तथा पंचायत सचिव ही, नियोजन समिति का सचिव रहेगा। नियोजन समिति के शत्-प्रतिशत सदस्यों के अलावा लगभग उतनी ही संख्या में ग्राम के सक्रिय पुरूष व महिलाओं को प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार पंचायत स्तर पर इनकी कुल संख्या 21 से 41 तक होगी पंचायत सचिव की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी, जो समिति के साथ समस्त दस्तावेजों का संधारण करेगा।

भाग -3

# सूक्ष्मस्तरीय नियोजन के विभिन्न चरण

नियोजन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, इसे व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से करने से ही उचित परिणाम मिल सकते हैं। सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया को आठ चरणों में बांटा जा सकता है। क्रमबद्ध तरीके से प्रक्रिया को संचालित करने से प्रत्येक स्तर पर लोगों की रचनात्मक सहभागिता व योगदान को सुनिश्चित किया जा सकता है। इन चरणों से गुजरे बिना नियोजन का स्वरूप भटका हुआ दिखाई देगा। सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के विभिन्न चरण निम्नानुसार हैं –

1. गांव की समस्याओं को पहचानना
2. समस्याओं की प्राथमिकता तय करना
3. समस्या के कारणों की पहचान करना
4. समस्या के हल के लिए विकल्प खोजना
5. गतिविधियां का निर्धारण व बजट बनाना
6. जिम्मेदारी का बंटवारा एवं योजना का प्रारूप विकसित करना
7. क्रियान्वयन के दौरान अनुश्रवण, निगरानी एवं मूल्यांकन
8. कार्ययोजना का समेकन एवं ग्राम सभा अनुमोदन

## प्रथम चरण : गांव की समस्याओं को पहचानना

योजना निर्माण समिति के सदस्यों द्वारा गांव के लोगों के साथ मिलकर गांव का सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण तैयार कर सकते है। इस मानचित्रण के माध्यम से गांव की बसाहट, गांव में जातिगत एवं सामाजिक व्यवस्था, संसाधनों की उपलब्धता कहां अधिक और कहां कम है, संसाधनों तक किन-किन लोगों की पहुंच है आदि के बारे में समझा जा सकता है। इसी के साथ समस्याओं की सूची का संकलन भी किया जा सकता है तथा सामुदायिक गतिविधियों को भी निकाला जा सकता है।

### समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकीकरण का उदाहरण

ग्राम स्तरीय समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकीकरण को ग्राम- कुरूषपाल जिला बस्तर के योजना दस्तावेज से समझने का प्रयास करते हैं-

ग्राम-कुरूषपाल में नियोजन के दौरान निकाली गई समस्याएं और उनके प्राथमिकीकरण हेतु ग्रामीणों द्वारा दिये गये तर्कों को यहां उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ताकि अपने गांव में नियोजन करते समय हम इन बिंदुओं पर विचार कर सकें।

#### समस्याओं की पहचान

ग्राम कुरूषपाल में पंचायत प्रतिनिधियों एवं लगभग 120 ग्राम सभा सदस्यों की उपस्थिति में नियोजन समिति द्वारा गांव की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। जिसमें सर्वप्रथम मोहल्ले एवं ग्राम स्तर की समस्याओं की पहचान की गई। चर्चा में समुदाय की ओर से निम्नलिखित 6 समस्याएं निकलकर आयीं। इन समस्याओं को बड़े कागज में लिखकर सबके सामने क्रमबद्ध तरीके से रखा गया

- ✓ तालाब में पक्का स्नान घाट न होने की समस्या
- ✓ कोटवार पारा एवं मंदिर मोहल्ले के रास्ते में भारी कीचड़ की समस्या
- ✓ मुख्य मार्ग से शमशान तक बारिश में आवागमन की समस्या
- ✓ बस स्टाप पर खुले में शौच की समस्या
- ✓ पारा/मोहल्ला विशेष में पीने के पानी की कमी
- ✓ आंगनबाड़ी भवन से मुख्य मार्ग तक जल निकासी की समस्या

### समस्याओं का प्राथमिकीकरण

उपरोक्त समस्याओं की पहचान करने के बाद उपस्थित लोगों को पढ़कर सुनाया गया। इसके उपरान्त समस्याओं की प्राथमिकता तय करने के लिए नियोजन समिति के सदस्यों द्वारा हर समस्या को लेकर सवाल किये गये। जैसे समस्या से कितने लोग परेशान हैं, कौन सी समस्या दूसरी समस्या से ज्यादा गंभीर है। सबसे पहले किस समस्या को हल करने की जरूरत है। जिस पर उपस्थित लोगों ने अपने-अपने तर्क दिये एवं हर समस्या को उसकी गंभीरता को देखते हुए 1 से 10 पाइंट के स्केल पर सामूहिक रूप से अंक दिये। जो समस्या सबसे अधिक गंभीर थी, उसे सबसे अधिक अंक दिये गये और उसे प्राथमिकता क्रम में सबसे ऊपर रखा गया। समस्याओं की गंभीरता के आधार पर तय प्राथमिकता क्रम -

1. पारा/मोहल्ला विशेष में पीने के पानी की कमी
2. कोटवार पारा एवं मंदिर मोहल्ले के रास्ते में भारी कीचड़ की समस्या
3. मुख्यमार्ग से शमशान तक बारिश में आवागमन की समस्या
4. आंगनबाड़ी भवन से मुख्य मार्ग तक जल निकासी की समस्या
5. तालाब में पक्का स्नान घाट न होने की समस्या
6. बस स्टाप पर खुले में शौच की समस्या

## दूसरा चरण : समस्याओं की प्राथमिकता तय करना

जब सभी समस्याओं को परिवार स्तर, मोहल्ले स्तर, गांव स्तर, एवं पंचायत स्तर पर चिन्हित कर लिया गया हो तो, इन समस्याओं को क्षेत्रक अनुसार भी देखा जा सकता है, जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, अधोसंरचना विकास से जुड़े मुददे। अधोसंरचना विकास सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक है जिसमें सबसे अधिक वित्तीय व्यवस्था, तकनीकी ज्ञान एवं विभागीय सहयोग की आवश्यकता होती है।

### समस्याओं के प्राथमिकीकरण की विधि

समस्याओं के प्राथमिकीकरण के लिये 1 से 5 के स्केल पर निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर सामूहिक रूप से अंक दिये जा सकते हैं –

- समस्या से प्रभावित लोगों की संख्या पर अंक –
  समस्या किस स्तर की है देखा जावे, जैसे– परिवार स्तर की समस्या व्यक्तिगत समस्या में आती है, वहीं एक या एक से अधिक परिवार की समस्या मोहल्ले स्तर की समस्या, एक से अधिक मोहल्ले की समस्या गांव स्तर की समस्या और यदि पंचायत में एक से अधिक गांव हैं और किसी समस्या से एक से अधिक गांव पीड़ित हैं तो वह पंचायत स्तर की समस्या में आएगी। जिस समस्या से सर्वाधिक लोग पीड़ित हैं उसे सभी की सहमति से सबसे अधिक अंक दिये जायें। इसी प्रकार ऐसी समस्या जिससे बहुत कम लोग पीड़ित हैं सबसे कम अंक दिये जाएं।

- बजट व अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर अंक–
  समस्या के निवारण के लिय बजट व अन्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता तय करना क्योंकि, पंचायत की बजट निर्भरता बाह्य स्रोतों पर अधिक है। अर्थात ऐसे पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिये कि कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो बिना लागत के या लोगों के सहयोग से हल हो सकती हैं। एक समस्या को अन्य समस्याओं से तुलना कर यह देखा जाये कि कम से कम बजट में कौन सा काम करना अधिक महत्वपूर्ण होगा। इसके अनुसार सभी की सहमति से समस्या वार अंक दिये जायें।

- समस्या की गंभीरता पर अंक–
  वह समस्या जिस पर तत्काल काम करने की जरूरत है, उनको प्राथमिकता के क्रम में पहले रखना, अर्थात तत्काल काम करने की जरूरत को 5 में से 5 अंक तथा जिसे भविष्य में कभी और करा जा सकता है को कुलांक 5 में से कितने अंक दिये जायें, तय किया जा सकता है।

नोट- पंचायत स्तर पर कई समस्या निकलती है परन्तु हर समस्या का हल एक ही वर्ष में संभव नहीं है। पंचायत के पास उपलब्ध संसाधन और समस्या की गंभीरता के आधार पर कार्यों का प्राथमिकीकरण किया जाना चाहिये। उपरोक्त तीनो बिंदुओं पर समुदाय की सहमति से हाथ उठाकर हर गतिविधि को नम्बर दिये जा सकते हैं। उपरोक्त तीन बिंदुओं पर मोहल्ले स्तर की समस्यों का प्राथमिकीकरण मोहल्ले स्तर पर कर ग्राम सभा में प्रस्तुत करने से प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। अंकों के औसत योग में सबसे अधिक अंक वाली समस्या को प्राथमिकीकरण में सबसे ऊपर व सबसे कम अंक वाली समस्या को सबसे नीचे रखा जाना चाहिये।

## समस्याओं के प्राथमिकीकरण का उदाहरण

| समस्या सूची क्रमांक | समस्या का प्रकार | समस्या का स्तर | समस्या से प्रभावित लोगों की संख्या के आधार पर अंक | बजट व अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर अंक | समस्या की गंभीरता के अंक | कुल अंक | प्राथमिकीकरण क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पारा विशेष में पीने के पानी की कमी | मोहल्ला स्तर | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 |
| 14 | ग्राम के सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था ,स्ट्रीट लाईट का अभाव | गांव स्तर | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 |
| 3 | कोटवार पारा एवं मंदिर मोहल्ले के रास्ते में कीचड़ की समस्या | मोहल्ला स्तर | 5 | 4 | 5 | 14 | 3 |
| 2 | मुख्य मार्ग से शमशान तक बारिश में आवागमन की समस्या | गांव स्तर | 5 | 3 | 5 | 13 | 4 |
| 20 | आंगनबाड़ी भवन से मुख्य मार्ग तक जल निकासी की समस्या | मोहल्ला स्तर | 3 | 4 | 5 | 12 | 5 |
| 22 | तालाब में पक्के घाट का अभाव, जिससे में स्नान आदि की समस्या | गांव स्तर | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 |
| 6 | बस स्टाप पर खुले में शौच की समस्या | गांव स्तर | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 |
| 7 | मंदिर मोहल्ले में 3 मी चौड़ी और 200 मीटर लम्बी सड़क की आवश्यकता | मोहल्ला स्तर | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 |

## तीसरा चरण : समस्या के कारणों की पहचान करना

समस्याओं के प्राथमिकीकरण के पश्चात प्रत्येक समस्या के मूल कारणों की पहचान करना महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य है। उदाहरण के लिये पीने के पानी की समस्या के कई कारण हो सकते हैं, जैसे – भूमिगत जल स्तर नीचे चला गया हो, हेण्डपम्प में पाइप कम हों, जल स्रोत पर मोहल्ले के कुछ दबंग लोगों का कब्जा हो आदि।

समस्याओं के मूल कारण जानने का काम भी, समस्याओं की प्राथमिकता तय करने के लिये किये गए अभ्यास की तरह ही किया जा सकता है। अभ्यास के दौरान यह देखा जाना चाहिये कि हर समस्या के कारण क्या है? समस्या का निदान क्यों आवश्यक है?जिस प्रकार बीमारी का कारण जाने बिना, डाक्टर इलाज नहीं करता है वैसे ही समस्या के हल के पूर्व उसके कारण जानना बहुत जरूरी है। तालिका बनाकर समस्या के सामने वाले कॉलम में अंकित करना चाहिये।

## समस्याओं के प्राथमिकीकरण के लिए ग्रामीणों द्वारा दिये गये तर्क-

| क्र. | समस्या | प्राथमिकीकरण के लिए ग्रामीणों द्वारा दिये गये कारण |
|---|---|---|
| 1. | पारा/मोहल्ले विशेष में पीने के पानी की कमी | पारा विशेष के निवासियों को वर्ष भर पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। गर्मी के मौसम में गांव के बाहर खेतों के ट्यूबवेल से पानी लाना पड़ता है। इसमें लोगों का बहुमूल्य समय भी जाता है। पानी की समस्या का मूल कारण भूमिगत जल स्तर का नीचे चला जाना है। यह समस्या लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी है। अत: समस्या को सबसे अधिक गंभीर मानते हुए पांच में से पांच नंबर दिये गये तथा प्राथमिकता क्रम में इसे प्रथम स्थान पर रखा गया। |
| 2 | ग्राम के सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट का अभाव | गांव के सार्वजनिक स्थानों और रास्तों में प्रकाश व्यवस्था नहीं होने के कारण, लोगों को रात्रि में चोरी, मार्गों पर सांप, बिच्छू के काटने का भय रहता है। लोगों ने इस समस्या को महत्वपूर्ण मानते हुए इसे प्राथमिकता क्रम में दूसरे स्थान पर रखा। |
| 3. | कोटवार पारा एवं मंदिर मोहल्ले के रास्ते में कीचड़ की समस्या | कोटवार पारा एवं मंदिर मोहल्ले में कच्ची सड़क होने, पानी का सही निकास नहीं होने से बरसात के मौसम में अत्यधिक कीचड़ होती है। जिससे आने-जाने में वहां के निवासियों को परेशानी होती है। गांव वालों ने इस समस्या को प्राथमिकता क्रम में तीसरे स्थान पर रखा। |
| 4. | मुख्यमार्ग से शमशान तक बारिश में आवागमन की समस्या | सड़क कच्ची है तथा इसी मार्ग से गांव के पशु भी आते जाते हैं जिससे बारिश में अत्यधिक कीचड़ और गढ्ढे हो जाते हैं। शमशान तक जाने का एक मात्र रास्ता भी यही है, जब किसी को अंत्येष्टि के लिये लेकर जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। समस्या के महत्व को देखते हुए ग्रामीणों ने इसे प्राथमिकता क्रम में चौथे स्थान पर रखा। |
| 5. | आंगनबाड़ी भवन से मुख्य मार्ग तक जल निकासी की समस्या । | आंगनबाड़ी केन्द्र गांव के बीचों बीच स्थित है। आसपास के घरों से निकलने वाला गंदा पानी आंगनबाड़ी भवन के चारों ओर जमा हो जाता है। जिससे केन्द्र पर आने वाले बच्चों, किशोरी बालिकाओं और माताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है और गंदगी भी रहती है। समस्या की गम्भीरता के आधार पर इसे पांचवे स्थान पर रखा गया। |
| 6. | तालाब में पक्के घाट का अभाव जिससे स्नान आदि की समस्या | पक्के घाट के अभाव के कारण गांव के लोगों को तालाब में नहाने, कपड़े धोने में असुविधा होती है। बरसात के दिनों में तालाब पर जाना बहुत जोखिम भरा हो जाता है। इसे प्राथमिकता क्रम में छठवे स्थान पर रखा गया। |
| 7 | बस स्टाप पर खुले में शौच की समस्या | बस स्टाप पर सार्वजनिक शौचालय, पेशाबघर की व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रतीक्षा करने वाले यात्री खुले में शौच एवं पेशाब करने के लिये मजबूर हैं, विशेषकर महिलाओं के लिये यह समस्या और अधिक कष्टदायी है। ग्रामीणों द्वारा इस समस्या को प्राथमिकता क्रम में सातवे स्थान पर रखा गया। |
| 8 | मंदिर मोहल्ले में 3 मीटर चौड़ी और 200 मीटर लम्बी सड़क की आवश्यकता | बरसात के मौसम में इस मार्ग पर सबसे अधिक कीचड़ होती है। जिससे आने-जाने में गांव वालों को परेशानी होती है। ग्रामीणों ने इस समस्या को प्राथमिकता क्रम में आठवे स्थान पर रखा। |

## चौथा चरण : समस्या के हल के लिए विकल्प खोजना

समस्या के कारण का पता लगाने के बाद समुदाय के साथ निम्नलिखित पक्षों पर बात की जानी चाहिये – समस्या को दूर करने के क्या-क्या रास्ते हो सकते हैं? उचित रास्ते या विकल्प का चुनाव करते समय उस पर आने वाले खर्च का अनुमान, लिये गए निर्णय पर लोगों की सहमति, जो विकल्प चुना गया है उसमें किस तरह के तकनीकी सहयोग की आवश्यकता होगी, समय-सीमा क्या होगी, पर्यावरण को तो किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी, विकल्प का सामाजिक प्रभाव क्या होगा, महिलाओं के लिए कितना उपयोगी होगा, आदि बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जिस प्रकार एक बीमारी को दूर करने के लिये कई तरह के उपचार होते हैं उसी प्रकार समस्या के निदान के भी कई विकल्प हो सकते हैं।

समस्या का निदान करने के लिये ग्राम सभा के साथ-साथ विभिन्न समितियों एवं पंचायत पदाधिकारियों के भी अपने-अपने सुझाव हो सकते हैं। अपने गांव के परिवेश में कौन सा सुझाव या विकल्प ज्यादा उपयुक्त रहेगा इसके आधार पर निर्णय लिया जाये। जैसे पीने के पानी की समस्या को दूर करने के कई विकल्प सामने आ सकते हैं, इनमें से सर्वमान्य व सर्व उपयोगी विकल्प को समस्या के समाधान के रूप में चुना जाना चाहिये।

यदि पीने के पानी के लिये ट्यूबवेल लगाना ज्यादा अच्छा विकल्प है तो इसे चुनना चाहिये। यदि भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे है और ट्यूबवेल से भी पर्याप्त पानी मिलने की संभावना नहीं है तो किसी नजदीकी जल स्रोत से टेंकर से पानी का परिवहन कराने का विकल्प भी चुना जा सकता है। हो सकता है किसी समस्या के त्वरित समाधान के लिये अस्थाई विकल्प को चुनना पड़े, लेकिन इस समस्या के स्थाई समाधान के बारे में भी सोचा जाना चाहिये।

समस्या के हल के लिए विकल्प खोजने का काम आगे दी गई तालिका के माध्यम से किया जाएगा –

## समस्याओं के समाधान के लिए विकल्पों की पहचान

| क्र. | समस्या | समस्या के निदान के लिए प्रस्तावित विकल्प | चयनित विकल्प |
|---|---|---|---|
| 1. | पंचायत में पीने के पानी का अभाव | 1. हैण्डपम्प<br>2. नलजल योजना की स्थापना<br>3. ट्यूबवेल लगाना<br>4. पानी का परिवहन/ टेंकर | इस समस्या का सबसे अच्छा निदान हैण्डपम्प ही है। क्योंकि इसमें बिजली एवं रखरखाव की विशेष आवश्यकता नहीं है। लोगों को इसके उपयोग हेतु कोई मासिक शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। |
| 2 | बरसाती पानी का संग्रहण | 1) नये तालाब का निर्माण<br>2) पुराने तालाब का गहरीकरण | अभी पंचायत के पास पैसा है इसलिये पहले नये तालाब का निर्माण कराया जाएगा, पुराने तालाब के गहरीकरण का कार्य बाद में भी ग्रामीणों के श्रमदान से कराया जा सकता है। |
| 3 | कोटवार पारा एवं मंदिर मोहल्ले के रास्ते में कीचड़ की समस्या | 1) डामर रोड<br>2) सीसी सड़क<br>3) डब्ल्यु बीएम रोड | अत्यधिक पानी का भराव होने के कारण सीसी रोड के विकल्प को चयनित किया गया। |
| 4 | मुख्यमार्ग से शमशान तक बारिश में आवागमन की समस्या | 1) डामर रोड<br>2) सीसी सड़क<br>3) डब्ल्यु बीएम रोड | चूंकि इस मार्ग पर पशुओं का आना-जाना है इसलिये डब्ल्यु बीएम सड़क को उचित विकल्प के रूप में चुना गया। |
| 5 | आंगनबाड़ी भवन से मुख्य मार्ग तक जल निकासी की समस्या | 1) सड़क को ऊंचा उठाना।<br>2) घर-घर सोख्ता गडढा बनाना।<br>3) पक्की नाली का निर्माण। | अत्यधिक पानी का जमाव होने एवं समस्या बारहमासी होने के कारण पक्की नाली के निर्माण का विकल्प चुना गया। |
| 6 | बड़े तालाब में पक्के घाट का अभाव | 1.) पक्के घाट का निर्माण | इस समस्या के समाधान के लिये कोई दूसरा विकल्प नहीं था इसलिये पक्के घाट निर्माण को ही चुना गया। |
| 7 | बस स्टाप पर शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था का अभाव | 1) सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय का निर्माण<br>2) महिला-पुरूषों के लिये अलग-अलग मूत्रालय का निर्माण | आवश्कता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए महिला-पुरूषों के लिये अलग-अलग शौचालय/मूत्रालय के निर्माण विकल्प को चुना गया। |

## पाचवां चरण : गतिविधियों का निर्धारण, बजट बनाना और जिम्मेदारियों का बटवारा

योजना निर्माण में गतिविधियां का निर्धारण करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पानी की समस्या के कारण लोगों को ग्राम के बाहर खेतों पर मौजूद ट्यूबवेलों से पानी लाना पड़ता है, जिसमें ग्रामीणों का महत्वपूर्ण समय पानी की व्यवस्था में चला जाता है। इस समस्या के निवारण के लिये जो विकल्प चुना गया है उसके लिये क्या-क्या गतिविधि करनी होगी –

- कौन-कौन सी गतिविधि करनी होगी, उनका निर्धारण करना।
- प्रत्येक गतिविधि को छोटी-छोटी गतिविधियों में तोड़ना होगा तथा समय-सीमा तय करनी होगी।
- गतिविधियों का क्रम तय करना अर्थात कौन सी गतिविधि कब, किसके बाद की जानी है,

यहां हमने समस्या के विकल्प के रूप में पहली एवं दूसरी गतिविधि के विकल्प को ही लिया है। नियोजन समिति के सदस्यों द्वारा गांव के लोगों के साथ मिलकर हर गतिविधि का बजट, लागत व जिम्मेदारी तय करते हुए निम्न प्रपत्र में विवरण अंकित किया जाये –

**नये हैण्डपम्प की स्थापना के लिये छोटी-छोटी गतिविधियों का विवरण - बजट 1,07,000 रूपये**

| क्र. | गतिविधि | दर | लागत | जिम्मेदारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पीएचई विभाग से सम्पर्क करने हेतु यात्रा व्यय | एकमुश्त | 1000 | सरपंच और स्थायी समिति के दो सदस्य |
| 2 | स्थल का चयन | – | 0 | मोहल्ला वासियों द्वारा |
| 3 | बोरिंग करने वाली एजेंसियों से कोटेशन लेना | एकमुश्त | 1000 | बलदेव और सचिव पंचायत |
| 4 | बोरिंग (110 मीटर) | वर्तमान दर अनुसार 350 रूपये प्रति मीटर | 38500 | सचिव पंचायत |
| 5 | केसिंग पाईप ( 35 मीटर ) | वर्तमान दर अनुसार 300 रूपये मीटर | 10500 | सचिव पंचायत |
| 6 | हैण्डपम्प सैट | लमसम | 15000 | सचिव पंचायत |
| 7 | पाईप (200 फिट) | 150 रूपये | 30000 | सचिव पंचायत |
| 8 | मिस्त्री | एकमुश्त | 2000 | सचिव पंचायत |
| 9 | प्लेटफार्म का निर्माण | एकमुश्त | 3000 | कमलू |
| 10 | सोख्ता गड्ढा | एकमुस्त | 6000 | निर्माण एवं विकास समिति |
| | कुल अनुमानित बजट | | 107000 | |

## इसी प्रकार नए तालाब निमार्ण हेतु अनुमानित बजट

**एक हेक्टयर का नया तालाबबनाने के लिये छोटी-छोटी गतिविधियों का विवरण बजट 19,78,920 रूपये**

| क्र. | गतिविधि | दर | लागत | जिम्मेदारी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | स्थल का चयन | निरंक | निरंक | ग्राम सभा में |
| 2 | कार्य स्थल की साफ-सफाई (लम्बाई 98 मीटर व चौड़ाई 100 मीटर, कुल 9800 वर्ग मीटर) | 1.64 | 16072 | रोजगार सहायक,मेट और सरपंच |
| 3 | मिट्टी का कार्य प्रथम लेयर (लम्बाई 98 मीटर व चौड़ाई 100 मीटर, गहराई 0.3 मीटर कुल 2940 घन मीटर) | 130.37 | 383288 | रोजगार सहायक,मेट और सरपंच |
| 4 | मिट्टी का कार्य दूसरी लेयर (लम्बाई 97 मीटर व चौड़ाई 99 मीटर, गहराई 0.3 मीटर कुल 2880.90 घन मीटर) | 130.37 | 375582 | रोजगार सहायक,मेट और सरपंच |
| 5 | मिट्टी का कार्य तीसरी लेयर (लम्बाई 96 मीटर व चौड़ाई 98 मीटर, गहराई 0.3 मीटर कुल 2822.40 घन मीटर) | 130.37 | 367956 | रोजगार सहायक,मेट और सरपंच |
| 6 | मिट्टी का कार्य चौथी लेयर (लम्बाई 95 मीटर व चौड़ाई 97 मीटर, गहराई 0.3 मीटर कुल 2764.50 घन मीटर) | 130.37 | 367956 | रोजगार सहायक,मेट और सरपंच |
| 7 | मिट्टी का कार्य पांचवी लेयर (लम्बाई 94 मीटर व चौड़ाई 96 मीटर, गहराई 0.3 मीटर कुल 2707.20 घन मीटर) | 130.37 | 352912 | रोजगार सहायक,मेट और सरपंच |
| 8 | कार्य के देख रेख हेतु मेट की राशि 216 दिवस् | 197 | 42552 | सचिव पंचायत |
| 9 | पानी की व्यवस्था हेतु मजदूरी की राशि 270 दिवस् | 172 | 46440 | उप सरपंच |
| 10 | कार्य स्थल पर सूचना बोर्ड | एकमुश्त | 5600 | निर्माण एवं विकास समिति के सदस्य सुखराम एवं लखमू |
| 11 | बेयर फुट इंजीनियर | एकमुश्त | 18562 | |
| 12 | अन्य खर्च | एकमुश्त | 2000 | |
| | कुल अनुमानित बजट | | 19.79 लाख | |

## छटवां चरण : गतिविधियों के लिए समय का निर्धारण करना

नीचे दी गई तालिका में हम, कब क्या किया जाना है देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हैण्डपम्प की स्थापना संबंधी गतिविधि के लिये समय का निर्धारण करना बताया गया है –

| क्र. | मुख्य प्रक्रिया | गतिविधि का प्रकार | समय निर्धारण कब से कब तक |
|---|---|---|---|
| 1 | हैण्डपम्प की स्थापना के पूर्व की गतिविधि | 1. कार्य योजना का जनपद/जिला स्तर पर समेकन<br>2. तकनीकी एवं प्रशासनिक, प्रतिवेदन पर प्रस्ताव व पीएचई विभाग से सम्पर्क<br>3. बजट जारी करवाना, क्रियान्वयन एजेंसी का निर्धारण<br>4. बोरिंग मशीन कम्पनी से सम्पर्क कर कोटेशन लेना आदि | ग्राम सभा उपरान्त जनपद स्तर पर सम्पर्क कर कार्य कराना |
| 2 | हैण्डपम्प की स्थापना (क्रियान्वयन) के दौरान की गतिविधि | 1. हैण्डपम्प के लिये स्थान का चयन<br>2. आवश्यक सामग्री का संकलन एवं गुणवत्ता का निर्धारण<br>3. मानव संसाधन की व्यवस्था एवं तकनीकी सुझाव व सहयोग | क्रियान्वयन आदेश के उपरांत कार्य पूर्ण होने तक निंरतर |
| 3 | क्रियान्वयन के उपरान्त की गतिविधि | 1. हैण्डपम्प की सफाई व्यवस्था तथा स्थायित्व हेतु प्रबंधन की व्यवस्था<br>2. रखरखाव<br>3. जिम्मेदारियाँ | हैण्डपम्प स्थापना के बाद निरंतर |

## सातवां चरण - अनुश्रवण, निगरानी एवं मूल्यांकन

उपरोक्त गतिविधि को पूरा करने में लगने वाले संसाधन जैसे – मजदूर, सामग्री, राशि आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी लोगों को देना ताकि सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके तथा एक के पास बहुत ज्यादा काम भी न हो।

- लोगों के अनुभव, सहमति, रूचि के अनुसार उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
- पारदर्शिता के लिए, किए गए कार्यों का पूरा ब्यौरा व्यवस्थित एवं लिखित रूप में हो जिसे सभी के सामने प्रस्तुत किया जा सके।
- प्रस्ताव बनाते समय पूरे चरण विवरण के साथ, क्रम से लिखे होना चाहिए ताकि जिन योजनाओं के लिये संसाधन मिलने वाले हैं उनकी स्पष्ट समझ बन सके।

गांव के लोग ग्राम सभा में बैठकर सामूहिक रूप से अपने क्षेत्र में किये गये विकास कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन कर सकते हैं। निगरानी और मूल्यांकन के विभिन्न पहलू इस प्रकार हो सकते हैं –

1. योजना में खर्च की गई राशि का पूरा हिसाब लेना।
2. किये गये कार्यों की गुणवत्ता के स्तर की जांच करना।
3. कार्यों के नियोजन एवं क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों की भागीदारी की स्थिति का आकलन करना।
4. दिशा–निर्देश के अनुसार कार्य क्रियान्वयन की परिस्थितियों को मापकर संबंधितों की जवाबदेही तय करना।

आम जनता को ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण या सोशल आडिट करने का संवैधानिक अधिकार है।

| क्र. | मुख्य प्रक्रिया | गतिविधि का प्रकार | समय निर्धारण कब से कब तक |
|---|---|---|---|
| 1 | परीक्षण/निगरानी के पूर्व की | 1. बोरिंग के दौरान अथवा क्रियान्वयन आरंभ में सामग्री आदि गतिविधियों का आंकलन व देखना की केसिंग पाईप आदि ठीक से लगाये जायें। बोर के लिये प्रस्तावित साईज व माप का पालन किया जाये तथा आवश्यक दस्तावेज में उक्त जानकारी का मिलान कराया जा सकता है। | बोरिंग के दौरान निरीक्षण दल/निगरानी समिति द्वारा निरंतर |
| 2 | गतिविधि परीक्षण/ निगरानी के दौरान की गतिविधि | 1. निरीक्षण के दौरान रस्सी अथवा बड़े टेप की सहायता से बोर की वस्तविक गहराई को नापना तथा प्राक्कलन से मिलान करना।<br>2. दस्तावेजों का परीक्षण व मिलान करना।<br>3. योजना अनुसार लाभांवित लोगों से चर्चा ताकि स्थल चयन की प्रक्रिया को मजबूती मिले। | परीक्षण के दौरान निरंतर |
| 3 | परीक्षण/निगरानी के उपरान्त की गतिविधि | 1. साक्ष्यों के अनुरूप गतिविधि से होने वाले लाभ व लक्ष्य प्राप्त करने या न कर सकने का प्रतिवेदन भी ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाये। | मूल्यांकन उपरान्त लक्ष्य अनुसार कार्य का संपादन पाया गया या नहीं का प्रतिवेदन |

## ध्यान देने योग्य बातें

- क्रियान्वयन के दौरान चल रहे कार्य की देखरेख की जिम्मेदारी तय करना ताकि सभी कार्य सही समय पर हो पूर्ण हो जाएं।
- जहां सुधार की आवश्यकता हो उसे समय रहते कर लिया जाए।
- विभिन्न दस्तावेजों के अध्ययन, विश्लेषण और उन्हें कार्यवार, मस्टरवार, मजदूरी एवं सामग्री वार एकजाई करने के बाद इन जानकारियों का सत्यापन करें।
- जानकारियों का सत्यापन दो प्रकार से करें। पहला तो भौतिक सत्यापन जिसमें स्थल पर जाकर किये गये काम को देखें एवं उसके विभिन्न पहलुओं को समझें एवं दूसरा इन जानकारियों के आधार पर तथ्यों से संबंध रखने वाले हितभागियों से मिलकर बातचीत करें।
- भौतिक सत्यापन करने के लिये सभी कार्यों/गतिविधियों के कार्यस्थल पर जायें और दस्तावेजों में दर्ज जानकारी के अनुसार कार्य की भौतिक स्थिति को समझें। देखें कि क्या मौके पर किया गया कार्य एस्टीमेट के अनुसार है। उतनी ही लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई एवं गहराई के अनुसार किया गया है जितना कि एस्टीमेट में दर्ज है।
- क्या जितनी सामग्री का उपयोग होना दस्तावेजों में दिखाया गया है उतनी ही सामग्री का उपयोग हुआ है। जिससे कार्य की गुणवत्ता की समय-समय पर परख हो सके तथा सुधार की आवश्यकता हो तो उस पर समय रहते विचार किया जा सके।
- ग्राम सभा में सभी के सामने किए गए कार्यों का ब्यौरा रखना तथा इस बात पर विचार करना कि अनुमानित समय, बजट में काम हुआ या नहीं।
- यह देखना कि जिसकी जो भूमिका थी उसने वह निभाई या नहीं। हिसाब-किताब सही से रखा गया या नहीं। ग्राम सभा के अंत में ग्राम सभा की कार्यवाही को अक्षरशः ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ताकि सभी ग्राम सभा सदस्य ग्राम सभा की कार्यवाही एवं लिये गये निर्णयों को जान सकें।

## आठवां चरण :- कार्य योजनाओं का समेकन एवं ग्राम सभा में अनुमोदन

नियोजन की इकाई पंचायत है। इसलिए आवश्यक है कि पूरे पंचायत की ग्राम पंचायत विकास योजना बनाई जाये। परंतु इसके लिए पंचायत में सम्मिलित सभी ग्रामों की विकास योजना बनाना आवश्यक है। पंचायत की योजना प्रत्येक ग्रामों की योजना का समेकन है। राज्य के निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना का अनुमोदन पंचायत अथवा ग्राम स्तर पर हो सकता है। यदि कार्य योजना ग्राम स्तर पर बन रही है तो इसे प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन करवाने की आवश्यकता होती है।

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा की कार्य योजनाओं का समेकन– ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों की ग्राम विकास योजना बनाने के बाद उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर समेकन करना होगा। समेकन से तात्पर्य सभी ग्राम सभाओं की कार्य योजनाओं को आपस में जोड़ना है। ये जिम्मेवारी ग्राम पंचायत की है।

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार होने के बाद कार्यों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति आवश्यक है। 15 लाख तक के कामों की प्रशासनिक स्वीकृति पंचायत स्वयं दे सकती है। यदि काम पचांयत की सीमा से अधिक बजट का हो तो सम्बंधित विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

तकनीकी स्वीकृति के लिए पंचायतों को तकनीकी कर्मचारियों जैसे इंजीनियर इत्यादि की मदद लेनी पड़ती है। मनरेगा में कार्यरत इंजीनियर व सब इंजीनियर कार्यों को तकनीकी स्वीकृति देते हैं व तकनीकी प्राक्लन तैयार करते हैं। यदि काम किसी विभागीय बजट से हो रहा हो तो विभागीय इंजीनियर अथवा विभाग द्वारा अधिकृत इंजीनियर कार्यों की तकनीकी स्वीकृति देते हैं।

# संलग्नक
# योजना निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रपत्र

## ग्राम सर्वेक्षण प्रपत्र

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | ग्राम का नाम | | |
| 2. | पटवारी हल्का क्रमांक | | |
| 3. | कलस्टर का नाम | | |
| 4. | विकासखण्ड का नाम | | |
| 5. | जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक | | |
| 6. | तहसील का नाम | | |
| 7. | विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम | | |
| 8. | जिले का नाम | | |
| 9. | संसदीय क्षेत्र क्रमांक एवं नाम | | |
| 10. | ग्राम की वैधानिक स्थिति | राजस्व | वन |
| 11. | ग्राम का एनआरईजीएस कोड | | |
| 12. | कुल जॉब कार्ड | | |
| 13. | कुल बीपीएल परिवार | | |
| 14. | कुल मतदाताओं की संख्या | | |
| 15. | विद्युतीकरण | हां–1 | नहीं–2 |
| 16. | विकास खण्ड मुख्यालय से दूरी (किमी) | | |
| 17. | जिला मुख्यालय से दूरी (किमी) | | |
| 18. | अन्य क्षेत्र विशिष्ट संचालित विकास योजनाओं के नाम | | |
| 19. | टोलों /मोहल्लों /पारों की संख्या | | परिवार संख्या |
| 20. | टोलों के नाम | 1 | |
| | | 2 | |
| | | 3 | |
| | | 4 | |

## ग्राम में संसाधन उपलब्धता की स्थिति

| क्र | संसाधन (भवन /संस्था) | (हॉ/ नहीं) | यदि सुविधा गांव में नहीं हो तो अन्य सुविधा स्थान की दूरी (कि.मी.) |
|---|---|---|---|
| 1 | शिक्षा संबंधी | | |
| 1.1 | प्राथमिक शाला | | |
| 1.2 | माध्यमिक शाला | | |
| 1.3 | हाई स्कूल | | |
| 1.4 | हा.से.स्कूल | | |
| 2 | स्वास्थ्य संबंधी | | |
| 2.1 | प्रा.स्वास्थ्य केन्द्र | | |
| 2.2 | उप. स्वास्थ्य केन्द्र | | |
| 2.3 | अन्य अस्पताल | | |
| 3 | पशु चिकित्सा | | |
| 3.1 | पशु चिकित्सालय | | |
| 3.2 | कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र | | |
| 3.3 | ट्रेविस | | |
| 4 | पोषण संबंधी | | |
| 4.1 | आंगनबाड़ी केन्द्र | | |
| 4.2 | उचित मूल्य की दुकान | | |
| 5 | मूलभूत अधोसरंचनाएं | | |
| 5.1 | सामुदायिक भवन | | |
| 5.2 | खेल मैदान | | |
| 5.3 | शमशान घाट | | |
| 5.4 | हाट बाजार का स्थान | | |
| 5.5 | बारामासी पहुच मार्ग | | |
| 5.6 | बस सेवा | | |

## गांव में निर्मित जल संरक्षण/संवर्धन संरचनाएं-

| क्र. | संरचना | संख्या | वर्तमान स्थिति | | | जल की उपलब्धता | | | यदि जीर्णोद्धार/ उन्नयन आवश्यक है तो विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अच्छी | औसत | खराब | 3माह | 6माह | वर्षभर | |
| 1 | तलाब | | | | | | | | |
| 2 | तलाई/डबरी | | | | | | | | |
| 3 | स्टॉपडेम | | | | | | | | |
| 4 | निस्तारी तालाब | | | | | | | | |
| 5 | पक्के चेक डेम | | | | | | | | |
| 6 | शास. कुंआ/बावड़ी | | | | | | | | |
| 7 | अन्य | | | | | | | | |

## पेयजल संसाधन

| | पेयजल संसाधन | संसाधनों की संख्या | वर्तमान स्थिति – (संख्या) | | स्थिति (संख्या) | | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पीने योग्य | पीने योग्य नहीं | अच्छा | खराब | |
| 1 | हेण्डपंप | | | | | | |
| 2 | कुंआ शासकीय | | | | | | |
| 3 | कुंआ निजी | | | | | | |
| 4 | ट्यूबवेल | | | | | | |
| 5 | अन्य | | | | | | |

संसाधन एवं सामाजिक मनचित्रों से विवरण दर्ज किया जा सकता है।

## गांव का रकबा

(पटवारी/कम्प्युटरीकृत भू-लेख/पंचवर्षीय पर्सपेक्टिव प्लान/अन्य किसी अभिलेख के आधार पर एकड़ में)

| कुल भौगोलिक क्षेत्रफल | खेती योग्य | पड़त | वन भूमि | जल भूमि | सामुदायिक भूमि | शासकीय चारागाह | आबादी की भूमि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

## खेती योग्य भूमि का विवरण

| | खरीफ | रबी | ग्रीष्म/जायद |
|---|---|---|---|
| सिंचित | | | |
| असिंचित | | | |

## लघु-व्यवसाय/सेवा प्रदायकर्ता की संख्या

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | किराना दुकान | 9 | नाई की दुकान | 17 | मनिहारी |
| 2 | साइकिल मरम्मत दुकान | 10 | आटा-चक्की | 18 | कपड़ा दुकान |
| 3 | दर्जी | 11 | फोटोग्राफर | 19 | बांस आदि का कार्य |
| 4 | होटल | 12 | टेन्ट हाउस | 20 | लोहार |
| 5 | बढ़ई | 13 | नर्सरी | 21 | ईंट भट्टा |
| 6 | बैंड पार्टी | 14 | साउंड सिस्टम शॉप | 22 | सब्जी दुकान |
| 7 | हस्तकला | 15 | पान की दुकान | 23 | सेंट्रिंग व्यवसाय |
| 8 | सांस्कृतिक मंडली | 16 | इलेक्ट्रॉनिक दुकान | 24 | अन्य कृपया विवरण दें |

## गांव के स्थानीय संगठनों का विवरण

| संगठन | संख्या | महिला सदस्य | पुरुष सदस्य |
|---|---|---|---|
| वन समिति | | | |
| महिला मंडल | | | |
| भजन मंडली | | | |
| युवक/युवती मंडली | | | |
| पालक शिक्षक संगठन | | | |
| ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति | | | |
| अन्य | | | |

## स्व सहायता समूहों की वर्तमान स्थिति के अनुसार संख्या

| | सक्रिय समूह | | निष्क्रिय समूह | | बंद समूह | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | महिला | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला | पुरूष |
| | | | | | | |

## आधारभूत जानकारियों के संकलन हेतु विभिन्न मानचित्र बनाना

सहभागी ग्रामीण आकलन या पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल (पी.आर.ए.) का उपयोग कर विभिन्न मानचित्र बनाना महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह विधि ग्राम में शुरूआती सम्पर्क स्थापित करने, आपसी मेल-जोल बढ़ाने, लोगों को सहभागी बनाने में सहायक होती है। लोग रूचि पूर्वक एवं मनोरंजक ढंग से इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसके लिए हमें गांव में जाते ही एकदम मानचित्र बनाने की बात नहीं करना चाहिए। पहले लोगों के साथ सामान्य बातचीत से मेल-जोल बढ़ाने का प्रयास करें। लोगों के साथ अपनत्व बढ़ाएं, उन्हें हम पर पूर्ण विश्वास की स्थिति बनने देना चाहिए।

इस प्रक्रिया में पहले लोग मानचित्र बनाने में झिझकते हैं, अरे हम मानचित्र या नक्शा कैसे बना सकते हैं?हम तो अनपढ़ हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं आप ही बना सकते हो या गांव का पटवारी बना सकेगा या फिर मास्टर जी बना सकते हैं, ऐसी प्रतिक्रियाएं या उद्‌गार सामने आते हैं। उन्हें कहें कि आप सही कह रहे हैं, परन्तु हमारे द्वारा बनाया गया मानचित्र तो नजरी नक्शा हो जायेगा इसमें सभी के सुझाव नहीं आयेंगे। हम कोशिश करें कि जहां बैठे या खड़े हैं एक लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा हाथ में लें तथा जमीन को साफ करके कुछ चिन्ह बना सकते हैं कि हम यहां है। इससे जुड़ा दूसरा घर बना सकते हैं और फिर इसके आगे शायद पत्थर या लकड़ी को गांव वालों के हाथ में थमा दें और कहें कि इसके आगे किसका घर है। फिर हम जिस रास्ते पर हैं वह रास्ता बना दें और फिर दूसरे रास्ते या मकान के लिए लकड़ी या पत्थर उनके हाथ में दें। इतना कार्य होने तक लोगों को समझ में आने लग जाता है कि हम किस प्रकार के नक्शा बनाने कि बात कर रहे हैं। ग्रामीणों के समूह से कुछ लोग यह कहते हुए आगे आने लगते हैं कि यह मकान यहां नहीं है, यह रास्ता ऐसे नहीं जाता है, इत्यादि। लोगों के बीच गहन चर्चा एवं विश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मानचित्र कई बार बनता और बिगड़ता है। लोग बदलते रहते हैं और प्रक्रिया चल पड़ती है। हम धीरे-धीरे पीछे हट जाते है और पूरी प्रक्रिया पर ग्रामीणों का दबदबा हो जाता है। जमीन पर बने घरों में अलग-अलग प्रकार के अनाजों के बीज, पत्थर, लकड़ी, पत्तियां या अन्य कोई बस्तु रखकर विभिन्न जानकारियों को दर्शा सकते हैं।

कहीं-कहीं यह प्रक्रिया सीधे कागज पर भी शुरू हो जाती है। यह तभी संभव है जब गांव वाले हमारी बात को समझ जायें या उनकी झिझक मिट जाये या कुछ पढ़े-लिखे युवक, स्व सहायता समूह के सदस्य प्रक्रिया में शामिल हों। एक बार थोड़ा समझ में आने के बाद गांव के लोग खुद ही जमीन या कागज पर पूरा सामाजिक मानचित्र बेहतर ढंग से बना देते हैं। मानचित्र बनाने के लिये अलग-अलग रंग की रंगोली का प्रयोग भी किया जा सकता है, इससे लोगों की रूचि बढ़ जाती है।

मानचित्र से विभिन्न स्थितियों को समझने के लिये निम्नलिखित अभ्यास का उपयोग करते हैं।

## सामाजिक मानचित्र अभ्यास

| मानचित्र से क्या समझ सकते हैं | क्या जानकारी ले सकते हैं | किस तरह उपयोग कर सकते हैं |
|---|---|---|
| सामाजिक मानचित्रण से हम गांव की बसाहट, रास्ते, गांव में निवासरत अलग-अलग जाति, धर्म के परिवारों की संख्या, गांव का सामाजिक ताना-बाना आदि को समझने का प्रयास करते हैं। | ▪ गांव का बसाहट क्षेत्र<br>▪ गांव की गलियां<br>▪ कच्ची पक्की सड़कें<br>▪ गांव का अन्य गांवों स्थानों से संपर्क<br>▪ कच्चे-पक्के घर, झोपड़ी<br>▪ पेयजल स्रोत<br>▪ विद्युत लाईन<br>▪ मन्दिर, चौपाल, स्कूल,<br>▪ दुकान, स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि<br>▪ जातिगत/धर्म बसाहट इत्यादि<br>▪ सार्वजनिक स्थल | ▪ गांव की जनसंख्या जानने में<br>▪ स्त्री पुरूष की जनसंख्या जानने में<br>▪ विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या जानने में<br>▪ पढ़ने वाले/न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के बारे में<br>▪ विभिन्न जातियों/धर्मों की जनसंख्या जानने में<br>▪ पशुपालन संबंधी आंकड़े जानने में<br>▪ स्वास्थ्य संबंधी आंकडे जानने में<br>▪ कच्चे-पक्के मकानों के बारे में<br>▪ मानव शक्ति जानने के बारे में<br>▪ सेवा/सुविधाओं के बारे में, आदि |

## सामाजिक मानचित्र का विश्लेषण

गांव में अलग-अलग जाति के लोगों की बसाहट कैसी है? क्योंकि हो सकता है गांव में अलग-अलग जाति के लोग अलग-अलग टोले/मोहल्ले में रहते हों। गांव की बसाहट और जाति के साथ यह भी देखा जाये कि कहीं विकास की दिशा प्रभावित तो नहीं है। जैसे - स्कूल, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल सुविधा, बिजली जैसी सुविधा सभी के लिये उपलब्ध है या नहीं। यदि है तो, क्या सभी जाति, वर्ग की इन तक समान पहुंच है। यदि नहीं है तो इसके क्या कारण है? गांव की गलियां एवं उनमें बनी कच्ची-पक्की सड़कें। इन गलियों से जुड़ी सड़कें एवं पहुंच मार्ग की स्थिति, उपयोग एवं क्या समस्याएं है?

गांव में कच्चे/पक्के/झोपड़ी वाले घरों की स्थिति, जिससे यह विशलेषण किया जा सके की अमीर, गरीब, अति गरीब परिवार कहां रहते हैं? गांव के विकास को जाति के साथ जोड़कर विश्लेषण करने से गांव की सामाजिक तस्वीर को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है? मन्दिर, चौपाल, दुकान, इत्यादि भी जाति एवं बसाहट के साथ जोड़कर विश्लेषण किया जाये।

## संसाधन मानचित्र अभ्यास

| मानचित्र से क्या समझ सकते हैं | क्या जानकारी ले सकते हैं | किस तरह उपयोग कर सकते हैं |
|---|---|---|
| संसाधन मानचित्रण में गांव की सीमा के अंदर उपलब्ध संसाधन जिनका उपयोग ग्रामवासी करते हैं चित्रण किया जाता है। हालांकि संसाधन मानचित्र बनाने की प्रक्रिया सामाजिक मानचित्र जैसी ही है। इसमें अंतर इतना होता है कि बसाहट क्षेत्र छोटा एवं गैर बसाहट क्षेत्र बड़ा दिखाया जाता है। इससे गांव में प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों की मौजूदगी और स्थिति को समझने में मदद मिलती है। | ▪ नदी, नाले, पहाड़<br>▪ सीमायें एवं सीमावर्ती गांव या क्षेत्र<br>▪ कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, चारागाह, सामाजिक क्षेत्र इत्यादि<br>▪ विभिन्न फसलों एवं वृक्षों का अलग-अलग क्षेत्र<br>▪ मिट्टी के प्रकार अनुसार क्षेत्रों का वर्गीकरण<br>▪ पानी के स्रोत<br>▪ सड़कें<br>▪ गांव का बसाहट क्षेत्र<br>▪ गांव में मौजूद सार्वजनिक सुविधाएं<br>▪ शासकीय, सामुदायिक भवन, इत्यादि। | ▪ सामाजिक मानचित्र की तरह समस्या एवं उपलब्धता का विश्लेषण करें<br>▪ सार्वजनिक संसाधनों की उपलब्धता, उनकी उपयोगिता, संसाधनों तक पहुंच का जाति वार, वर्ग वार विश्लेषण करें<br>▪ बच्चों और महिलाओं को भी प्रक्रिया में जोड़ने का प्रयास करें।<br>▪ सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास करें।<br>▪ संसाधनों के रखरखाव व सुधार की आवश्यकताओं की पहचान करें। |

## संसाधन मानचित्र का विश्लेषण (जल, जंगल, जमीन, जानवर, कृषि, चारा)

संसाधन मानचित्रण का उद्देश्य आजीविका के परिप्रेक्ष्य में उक्त संसाधनों का अलग-अलग विश्लेषण करना है, जैसे - संसाधनों की उपलब्धता, प्रबंधन, वर्तमान स्थिति, विकास की संभावनाएं, उपयोगिता, आदि। गांव में कुआं, तालाब एवं बावड़ी आदि कहां-कहां पर हैं? इनमें पानी कब तक रहता है?पानी का क्या उपयोग है? कौन उपयोग करता है?

गांव में नदी एवं नाले कहां-कहां हैं? क्या इन पर स्टाप डेम/बोरी बंधान आदि बने हुए है? इन बंधानों में कब तक पानी उपलब्ध रहता है? यदि बांध नहीं है तो क्या बनाने की संभावना है? गांव में वन भूमि कहां पर है?जंगल में किस तरह के पेड़-पौधे पाए जाते हैं? गांव वाले वन से कौन-कौन सी वनोपज लाते हैं? कितने एवं कौन-कौन लोग वनोपज लाते हैं?

गांव में खेत, बाग, बगीचे कहां हैं, कृषि के लिए अच्छी उपजाऊ, औसत उपजाऊ, कम उपजाऊ और पड़त/बर्रा भूमि कहां-कहां है। गांव में सिंचित जमीन कहां है, उनमें सिंचाई के क्या साधन हैं, किस तरह की फसलें, फल, सब्जी ली जाती हैं आदि। गांव में किस प्रजाति के पशु पाले जाते हैं। क्या पशुओं के चारे की पर्याप्त व्यवस्था है।

गांव में कौन-कौन से गौण खनिज जैसे-पत्थर, रेत, गिट्टी, मुरम, कोपरा आदि उपलब्ध हैं। क्या इन्हें कोई निकालता है, यदि निकालता है तो क्या इसके कोई नियम-कानून हैं?

इसके अलावा गांव वालों से यह भी पूछा जाए कि इन संसाधनों का उनकी आजीविका से क्या संबंध है। इन संसाधनों में कौन से और सुधार किए जा सकते हैं। इन संसाधनों से उनकी आजीविका को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।

गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, सड़क, घरेलू तथा खेती के उपयोग के लिए विद्युत लाईन, उचित मूल्य की दुकान, अनाज भण्डारण केन्द्र, राशन की दुकान, स्वास्थ्य सुविधा, बाजार आदि के बारे में भी जानकारी लें। यदि कोई संसाधन या सुविधा गांव में नहीं है तो उसके लिये ग्रामीण कहां जाते हैं जगह का नाम एवं अनुमानित दूरी कितनी है की सूची तैयार करें। इससे यह मालूम होगा कि कौन-कौन सी सुविधाएं गांव में नहीं हैं, जिनके लिये ग्रामीणों को गांव से बाहर जाना पड़ता है, विश्लेषण से यह भी पता किया जा सकता है कि इसमें उनका कितना समय जाता है।

## क्षेत्र भ्रमण/अवलोकन का चित्रण

यह अभ्यास गांव के आबादी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पहाड़, नदी-नाले, चारागाह, सार्वजनिक उपयोग के स्थान इत्यादि की जानकारी के लिए किये गये भ्रमण से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य संसाधन मानचित्र में आए संसाधनों की वास्तविक स्थिति, उनके उपयोग, उनके गुण-दोषों को पहचानना और उनमें सुधार की संभावनाओं को ग्रामीणों के साथ बेहतर तरीके से समझना तथा विश्लेषण करना है।

हर संसाधन को जाकर देखें, कहीं भी जाने में आलस न दिखायें, हर संसाधन का गहराई से विश्लेषण करें।

## गतिविधि निर्धारण प्रपत्र

| क्र. | समस्या के लिए प्रस्तावित गतिविधि | क्षेत्रक का नाम | गतिविधि का स्थान/ विवरण | कार्य की संख्या/माप प्रकार | क्रियान्वयन एजेंसी/ विभाग की जिम्मेदारी | कार्य की अनुमानित लागत | लाभान्वित परिवार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हेण्डपम्प की स्थापना | स्वास्थ्य | मंदिर मोहल्ले में रामू के घर के सामने हेण्डपम्प की स्थापना | हेण्डपम्प-1 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग | 1,07,000 | 53 परिवार |
| 2 | सीसी रोड | अधोसंरचना | कोटवार पारा में सीसी रोड का निर्माण | चौड़ाई 3 मीटर, लम्बाई 270 मीटर, कुल 810 वर्ग मीटर | ग्राम पंचायत | 8,10,000 | 80 परिवार |
| | | अधोसंरचना | मंदिर मोहल्ले में सीसी रोड का निर्माण | चौड़ाई 3 मीटर, लम्बाई 200 मीटर, कुल 600 वर्ग मीटर | ग्राम पंचायत | 6,00,000 | पूरा गांव |
| 3 | डब्ल्युबीएम रोड | अधोसंरचना | मुख्य मार्ग से शमशान तक डब्ल्युबीएम रोड का निर्माण | लम्बाई 1.5 किमी | ग्राम पंचायत | 7,50,000 | पूरा गांव |
| 4 | नाली निर्माण | अधोसंरचना | आंगनबाड़ी भवन से मुख्य मार्ग तक | 200 मीटर | ग्राम पंचायत | 2,00,000 | पटेल पारा के 60 परिवार |

उपरोक्त तालिका के अनुसार बिना बजट खर्च वाली गतिविधियों के साथ-साथ कम बजट खर्च वाली गतिविधियों का निर्धारण भी किया जा सकता है। सभी समस्याओं को क्षेत्रक वार भी देखा जा सकता है। नीचे तालिका में क्षेत्रकों के प्रकार और उनसे जुड़ी समस्याओं के कुछ बिन्दु दिये गये हैं -

| क्षेत्रक | समस्याओं के मुख्य बिन्दु |
|---|---|
| शिक्षा | माध्यमिक शाला में कम्प्युटर शिक्षा का अभाव<br>प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में बाउन्ड्रीवाल का अभाव<br>प्राथमिक शाला में भंडार गृह का निर्माण<br>उच्चतर माध्यमिक शाला भवन की मरम्मत<br>माध्यमिक शाला में शिक्षकों की नियुक्ति<br>प्रयोगशाला का निर्माण<br>शिक्षक हेतु आवासीय परिसर निर्माण<br>अभिभावकों की बैठकें<br>स्कूल परिसर के पीछे शासकीय जमीन पर खेल मैदान का निर्माण<br>शाला विकास समिति का प्रशिक्षण<br>स्कूल भवन एवं प्रांगण में लगे पौधों की सुरक्षा हेतु एक चौकीदार की नियुक्ति |
| स्वास्थ्य | मच्छर मारने की दवा का छिड़काव,<br>सामुदायिक हेण्डपम्पों के पास सोखता गड्ढे का निर्माण<br>स्कूलों में पानी निकालने के लिये डण्डी वाले लोटे की व्यवस्था<br>स्कूल एवं आंगनबाड़ी में बच्चों के हाथ धोने एवं थाली धोने के लिए प्लेट फार्म का निर्माण<br>माध्यमिक स्कूल में कन्याओं के लिये अलग शौचालय का निर्माण<br>स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव कक्ष का निर्माण, पलंग एवं बिस्तर की व्यवस्था<br>स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर जागरूकता अभियान<br>शौचालयों के उपयोग के लिए जागरूकता अभियान<br>शौचालय विहीन घरों में शौचालय का निर्माण करना<br>आंगनबाड़ी केन्द्र के लिये भवन निर्माण<br>नये हेडपम्प की स्थापना<br>स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का प्रशिक्षण<br>नल जल योजना की पाइप लाईन की मरम्मत और बिजली कनेक्शन कराकर इसे चालू कराना |
| स्वास्थ्य (पोषण) | आदिवासी मोहल्ले में 6 वर्ष से कम आयु के 30 बच्चे हैं, यहां एक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खुलवाना |

| क्षेत्रक | समस्याओं के मुख्य बिन्दु |
|---|---|
| | आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों के मध्यान्ह भोजन के लिये बर्तनों की आवश्यकता<br>आंगनबाड़ी केन्द्र में कुर्सी टेबिल की आवश्यकता<br>आंगनबाड़ी केन्द्र में खेल सामग्री का अभाव<br>आंगनबाड़ी केन्द्र पर गर्भवती माताओं की जांच हेतु टेबिल की व्यवस्था<br>पोषण एवं जागरूकता अभियान<br>आंगनबाड़ी केन्द्र पर किचन शेड का निर्माण |
| आजीविका | निजी भूमि पर मेंढ़बंधान<br>कपिलधारा कूप निर्माण<br>स्टॉप डेम निर्माण<br>तालाब का निर्माण<br>निजी जमीन पर डबरी निर्माण<br>भूमि सुधार एवं समतलीकरण<br>20 किसानों के यहां वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण और इस पर प्रशिक्षण<br>खरीफ सीजन में उन्नत किस्म के बीज एवं श्री पद्धति पर किसानों का प्रशिक्षण<br>रबी सीजन में उन्नत किस्म के बीज एवं श्री पद्धति पर किसानों का प्रशिक्षण<br>व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण (बढ़ईगिरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेरी विकास)<br>सिंचाई संसाधनों की मांग (विद्युत पम्प और डीजल पम्प)<br>कृषि उपकरणों की आवश्यकता (थ्रेसर मशीन, स्प्रेयर पम्प )<br>पशुओं की नस्ल सुधार<br>जल संवर्धन तकनीकी पर एक्सपोजर<br>उन्न्त कृषि तकनीक पर एक्सपोजर<br>निजी भूमि पर फलोद्यान की मांग |
| अधोसंरचना | पशुओं के लिये जंगल से चारा लाने के लिये भूमि का आवंटन<br>कांजी हाऊस का निर्माण<br>सामुदायिक भवन का निर्माण<br>गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण<br>चक हिलगना में सीसी रोड निर्माण<br>ग्राम का मुख्य पहुंच मार्ग निर्माण<br>रोड पर पुलिया निर्माण<br>तालाब गहरीकरण<br>तालाब के किनारे वृक्षारोपण |

| क्षेत्रक | समस्याओं के मुख्य बिन्दु |
|---|---|
| ऊर्जा | कृषि में सिंचाई हेतु नाले के किनारे बिजली के पोल की आवश्यकता<br>कृषि कार्य हेतु 12 किसानों को विद्युत कनेक्शन<br>गोबर गैस का निर्माण |
| नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सशक्तिकरण | सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं इन्दिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्र लोगों को लाभ दिलाना।<br>ग्रामीण सूचना केन्द्र एवं पुस्तकालय का निर्माण |

## समय निर्धारण गतिविधि प्रपत्र

| क्रमांक | क्षेत्रक का नाम | समस्या निराकरण के लिए प्रस्तावित गतिविधि | गतिविधि का स्थान/विवरण | निर्धारित समय | कार्य का प्रकार एवं प्रक्रिया | क्रियान्वयन की जिम्मेदारी | लाभान्वित परिवार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शिक्षा | शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना | प्राथमिक स्कूल | सप्ताह में एक बार, प्रात: 9 बजे | सामुदायिक निगरानी | शाला प्रबंधन समिति | स्कूली बच्चों के 30 परिवार |
| 2 | स्वास्थ्य | अति कुपोषित बच्चों को विशेष उपचार एवं रिफरल सेवा | आंगनबाड़ी क्रमांक-2 | दूसरे मंगलवार को प्रात: 8-12 बजे एवं आवश्यकतानुसार | सामुदायिक निगरानी एवं जागरूकता | स्वास्थ्य समिति एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता | 3 बच्चे |
| 3 | स्वास्थ्य | गांव को खुले से शौच मुक्त बनाये रखना एवं स्वच्छता अभियान चलाना | गांव का सीमा क्षेत्र | पाक्षिक स्वच्छता अभियान चलाना एवं निरंतर जागरूकता | सामुदायिक निगरानी एवं जागरूकता | ग्राम सभा एवं स्वच्छता समिती | पूरा गांव |

## सार्वजनिक निर्माण कार्य गतिविधि ग्राम पंचायत कार्य योजना प्रारूप प्रपत्र

ग्राम पंचायत का नाम ..... ग्राम पंचायत का कोड ..... ब्लॉक का नाम .....

| क्र. | प्रस्तावित गतिविधि का नाम | कार्य की इकाई संख्या/मीटर / किलोमीटर | क्षेत्रक का नाम | स्थान | प्राथमिकता क्रमांक | अनुमानित लागत | प्रस्तावित योजना का नाम | क्रियान्वयन संस्था |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## ग्राम पंचायत कार्य योजना का प्रारूप

ग्राम पंचायत का नाम ..... ग्राम पंचायत का कोड ..... ब्लॉक का नाम .....

| क्र. | हितग्राही का नाम | हितग्राही के पिता/पति का नाम | पात्रता वर्ग [1] | कार्य का नाम | क्षेत्रक का नाम | कार्य की इकाई संख्या/मीटर / किलो मीटर | अनुमानित लागत | प्रस्तावित योजना का नाम | प्राथमिकता क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

पंचायत /ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित हस्ताक्षर सरपंच हस्ताक्षर सचिव

1–अ.जा. 1, अ.ज.जा. 2,महिला 3, विशेष सक्ष्म अन्य 4

## हितग्राही मूलक गतिविधि ग्राम पंचायत कार्य योजना प्रारूप प्रपत्र

ग्राम पंचायत का नाम ..... ग्राम पंचायत का कोड ..... ब्लॉक का नाम .....

| क्र. | प्रस्तावित गतिविधि का नाम | कार्य की इकाई संख्या/मीटर/ किलो मीटर | क्षेत्रक का नाम [1] | हितग्राही का नाम | हितग्राही की पात्रता[2] | अनुमानित लागत | प्राथमिकता क्रमांक | प्रस्तावित योजना का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | |

हस्ताक्षर सरपंच

हस्ताक्षर सचिव

1-शिक्षा-1, स्वास्थ्य -2, आजीविका-3, अधोसंरचना-4, ऊर्जा, ईंधन एवं वैकल्पिक ऊर्जा-5, सामाजिक सुरक्षा-6
2-अनुसूचित जाति-1,अनुसूचित जन जाति-2, बीपीएल परिवार-3, महिला-4, वन अधिकार पटट्धारी परिवार-5 विशेष सक्षम व्यक्ति-6

## समर्थन के बारे में

समर्थन - सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट एक अलाभकारी स्वैच्छिक संस्था है, जो वर्ष 1996 से देश के मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में सहभागी अभिशासन एवं विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। संस्था का प्रयास स्थानीय निकायों, सामुदायिक संगठनों, अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय लोगों की क्षमतावृद्धि कर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि नागरिकों और राज्य के बीच एक सहयोगी सेतु का निर्माण हो जिससे समाज के उपेक्षित, वंचित वर्ग की आवाज बुलन्द हो सके और वे भी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। समर्थन पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जमीनी स्तर पर कार्य करती है। इसके साथ ही बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से नीतिगत बदलाव हेतु साक्ष्य आधारित पैरवी करना भी संस्था का प्रमुख कार्य है।

Website: www.samarthan.org

## टीआरआई के बारे में

ट्रांसफार्म रूरल इंडिया फाउंडेशन (TRI) एक गैर-शासकीय पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को दर्शाने वाले महत्त्वपूर्ण सूचकांकों में आशावादी बदलाव लाना है। इसे प्राप्त करने हेतु TRI जमीनी स्तर पर कार्य कर रही उन गैर सरकारी संस्थाओं को सहयोग करती है, जिनका मुख्य ध्येय ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाना है।

TRI 'समुदाय केन्द्रित' की अवधारणा पर काम करता है, इसका मतलब यह है कि समुदाय स्वयं विकास-रथ का सारथी बनने के लिए उद्वेलित हो तथा सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित हो। स्थाई सकारात्मक परिवर्तन के लिए हम विकास के विभिन मूलभूत आयामों जैसे कि आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, व्यक्तिगत जवाबदेही एवं सामुदायिक नेतृत्व पर एक साथ काम करते हैं।

Website: www.trif.in

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

ट्रांस्फार्मिंग रूरल इन्डिया फाउंडेशन (टीआरआईएफ)
प्रधान कार्यालय : 3, कम्युनिटी शॉपिंग सेन्टर, नीति बाग, नई दिल्ली–49
वेबसाइट – www.trif.in

स म र्थ न

सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट (समर्थन)
प्रधान कार्यालय : 36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल–462016
ई–मेल info@samarthan.org, वेबसाइट – www.samarthan.org